17

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)

[नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2020 के प्रतिवेदन सं 18 के लेखापरीक्षा पैरा सं. 5.2 पर आधारित]

वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति
(2022-23)

सत्रहवीं प्रतिवेदन

(सत्रहवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

17वां प्रतिवेदन
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति
(2022-23)
(सत्रहवीं लोक सभा)

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)

[नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2020 के प्रतिवेदन सं.18 के लेखापरीक्षा पैरा सं. 5.2 पर आधारित]

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

[इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) से संबंधित समाप्त परियोजनाओं में ऋण की अवधि बढ़ाए जाने के कारण होने वाली परिहार्य हानि विषय के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2020 के प्रतिवेदन सं.18 के लेखापरीक्षा पैरा सं. 5.2 पर आधारित]

01 अगस्त, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया
01 अगस्त, 2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

अगस्त, 2022/ श्रावण, 1944 (शक)

सीपीयू सं.1038

मूल्य: रु.

© 2022 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली-110002 द्वारा मुद्रित।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2022-23) की संरचना

श्री संतोष कुमार गंगवार - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
3. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
4. श्री सी.पी. जोशी
5. श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि
6. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू
7. श्रीमती पूनमबेन माडम
8. श्री अर्जुन लाल मीणा
9. श्री जनार्दन मिश्र
10. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु
11. डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा
12. श्री रवनीत सिंह
13. श्री सुशील कुमार सिंह
14. श्री उदय प्रताप सिंह
15. श्री रामदास तडस

राज्य सभा

16. श्री अनिल देसाई
17. सुश्री इंदु बाला गोस्वामी
18. श्री सैय्यद नासिर हुसैन
19. डा. अनिल जैन
20. श्री प्रकाश जावडेकर
21. डा. अमर पटनायक
22. श्री एम.शनमुगम

सचिवालय

1. श्री वी.के. त्रिपाठी	-	संयुक्त सचिव
2. श्री श्रीनिवासुलु गुंडा	-	निदेशक
3. श्री जी.सी. प्रसाद	-	अपर निदेशक
4. श्री ध्रुव	-	कार्यकारी अधिकारी

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2021-22) की संरचना

श्री संतोष कुमार गंगवार - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू
3. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
4. श्री सी.पी. जोशी
5. श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि
6. श्रीमती पूनमबेन माडम
7. श्री अर्जुन लाल मीणा
8. श्री जनार्दन मिश्र
9. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु
10. श्री नामा नागेश्वर राव
11. डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा
12. श्री रवनीत सिंह
13. श्री सुशील कुमार सिंह
14. श्री उदय प्रताप सिंह
15. श्री रामदास तडस

राज्य सभा

16. श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य
17. श्री अनिल देसाई
18. श्री सैय्यद नासिर हुसैन
19. श्री ओम प्रकाश माथुर
20. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर
21. श्री के.सी. रामामूर्ति
22. श्री एम.शनमुगम

* **श्रीमती मीनाक्षी लेखी के 07 जुलाई, 2021 को मंत्री नियुक्त किए जाने पर श्री संतोष कुमार गंगवार को 13 अगस्त, 2021 से सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सभापति नियुक्त किया गया**

प्राक्कथन

मैं, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2022-23) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर 'इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) से संबंधित समाप्त परियोजनाओं में ऋण की अवधि बढ़ाए जाने के कारण होने वाली परिहार्य हानि [नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2020 के प्रतिवेदन सं.18 के लेखापरीक्षा पैरा सं. 5.2 पर आधारित]' विषय से संबंधित यह 17वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2021-22) ने उक्त विषय को विस्तृत जांच हेतु चुना था।

3. आरंभ में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2021-22) को 8 दिसंबर, 2021 को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के प्रतिनिधियों द्वारा विषय के संबंध में संक्षेप में जानकारी दी गई थी। तत्पश्चात समिति ने क्रमशः 16 मार्च, 2022 और 5 अप्रैल, 2022 को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) और वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया।

4. समिति (2022-23) ने 28 जुलाई, 2022 को हुई अपनी बैठक में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

5. समिति, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) और वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) के प्रतिनिधियों को विषय की जांच के संबंध में उनके समक्ष साक्ष्य देने और अपेक्षित जानकारी उपलब्ध करने के लिए धन्यवाद देती है।

6. साथ ही, समिति इस मामले में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा दी गई सहायता के लिए उनकी सराहना करती है।

7. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियाँ और सिफारिशें प्रतिवेदन के भाग - दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली; **संतोष कुमार गंगवार**
28 जुलाई, 2022 **सभापति**
06 श्रावण,1944(शक) **सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति**

	विषय सूची	
		पृष्ठ सं.
	समिति (2022-23) की संरचना	iv
	समिति (2021-22) की संरचना	vi
	प्राक्कथन	viii
	प्रारूप प्रतिवेदन	
	भाग - एक	
क	**पृष्ठभूमि**	1
ख	**लेखापरीक्षा पैरा**	7
(I)	समाप्त परियोजनाओं में ऋण की अवधि बढ़ाए जाने के कारण होने वाली परिहार्य हानि	7
(II)	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	7
ग	**लेखापरीक्षा टिप्पणियों में सामने आए मुद्दे**	11
(I)	रायपुर अपशिष्ट प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड (आरडबल्यूएमपीएल) को रियायत समझौते की समाप्ति के बाद ऋण का वितरण	11
(II)	भिलाई दुर्ग अपशिष्ट प्रबंधन (बीडीडबल्यूपीएल) को रियायत करार की समाप्ति के बाद ऋण का वितरण	14
(III)	टेकआउट वित्तपोषण योजना में आईआईएफसीएल के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपाय	18
(IV)	निर्धारित ऋण अदायगी कवरेज अनुपात (डीएससीआर) की पर्याप्तता	20
(V)	अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न होना और समझौते में अन्य खामियां	22
(VI)	दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई	28
(VII)	आईआईएफसीएल द्वारा किए गए सुधार उपाय	30
	भाग - दो	
	समिति की टिप्पणियाँ / सिफारिशें	33
I.	समिति की 08.12.2021 को आयोजित बैठक का कार्यवाही सारांश	40
II	समिति की 16.03.2022 को आयोजित बैठक का कार्यवाही सारांश	42
III	समिति की 05.04.2022 को आयोजित बैठक का कार्यवाही सारांश	45
IV	समिति की 28.07.2022 को आयोजित बैठक का कार्यवाही सारांश	49

<u>प्रतिवेदन</u>

<u>भाग - एक</u>

क. पृष्ठभूमि

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2005-06 का केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करते समय देश में पर्याप्त अवसंरचना के निर्माण की आवश्यकता और महत्व को स्वीकार किया और निम्नलिखित घोषणा की-

"तेजी से विकास के लिए बुनियादी ढांचे के महत्व को कम नहीं आँका जा सकता है। भारत में सबसे स्पष्ट कमी बुनियादी ढांचे की कमी है। बुनियादी ढांचे में निवेश को बजट के माध्यम से वित्तपोषित किया जाना जारी रहेगा। हालांकि, कई अवसंरचना संबंधी परियोजनाएं हैं जो वित्तीय रूप से व्यवहार्य हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में संसाधनों को जुटाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि ऐसी परियोजनाओं को वित्तीय विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से वित्तपोषित किया जाए। एसपीवी बैंकों और वित्तीय संस्थानों से अन्य ऋणों के पूरक के लिए पात्र परियोजनाओं को सीधे धन, विशेष रूप से लंबी अवधि की परिपक्वता के ऋण देगा। सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में एसपीवी को ऋण की सीमा के बारे में बताएगी।"

2. तदनुसार, भारत सरकार ने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक योजना अनुमोदित की, जिसे मोटे तौर पर एसआईएफटीआई (सिफ्टी) के रूप में जाना जाता है। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) की स्थापना जनवरी 2006 में भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में की गई थी और अप्रैल 2006 से इसका प्रचालन शुरू किया गया था।

3. केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2009-10 में आईआईएफसीएल की भूमिका और अवसंरचना परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 'टेक आउट' वित्तपोषण योजना विकसित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए निम्नानुसार घोषित किया है:

"अवसंरचना में सरकारी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए हमने अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) की स्थापना की थी। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आईआईएफसीएल को अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए अधिक व्यवहार्य बनाया जाए। टेक आउट वित्तपोषण अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए दीर्घकालिक निधियों को जारी करने की एक स्वीकृत अंतरराष्ट्रीय प्रथा है। इसका उपयोग अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के वित्तपोषण से उत्पन्न वाणिज्यिक बैंकों की परिसंपत्ति-देयता में असमानता को प्रभावी ढंग से दूर करने और नई परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए पूंजी को मुक्त करने के लिए भी किया जा सकता है। आईआईएफसीएल बैंकों के परामर्श से एक टेक आउट वित्तपोषण योजना विकसित करेगा, जो अवसंरचना क्षेत्र को क्रमिक ऋण देने की सुविधा प्रदान करेगा।"

4. आईआईएफसीएल ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के समक्ष दिए गए प्रस्तुतीकरण में अपनी 'टेक आउट' वित्तपोषण योजना की उत्पत्ति, विशेषताओं और लाभों के बारे में बताया:

<u>उत्पत्ति</u>

- टेक आउट वित्तपोषण योजना को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- आईआईएफसीएल ने भारत में टेक आउट वित्तपोषण योजना शुरू की।
- आईआईएफसीएल ने बैंकों और अन्य प्रमुख स्टेकहोल्डरों के परामर्श से अवसंरचना क्षेत्र को क्रमिक ऋण देने की सुविधा के लिए एक टेक आउट वित्तपोषण योजना विकसित की है।
- यह योजना 16 अप्रैल 2010 को शुरू की गई थी और यह सिफ्टी के तत्वावधान में संचालित होती है।
- इस योजना में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा यथा अनुमोदित परिवर्तन किए गए हैं।

<u>विशेषताएं</u>

- इसमें केवल पूरी हुई परियोजनाओं के लिए ऋण दिया जाता है।
- लेन-देन मौजूदा बैंकों और आईआईएफसीएल के बीच होता है।

- परियोजना के उधारकर्ता को कोई संवितरण नहीं किया जाता है।
- निवेश ग्रेड के साथ दो बाहरी क्रेडिट रेटिंग।
- संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड - वास्तविक टेक आउट से पहले कम से कम 1:0 के ऋण अदायगी कवरेज अनुपात (डीएससीआर) के साथ राजस्व उत्पादन का एक वर्ष
- अनापत्ति प्रमाण पत्र और परिसंपत्ति की पुष्टि करने वाला पत्र मौजूदा बैंकों से दिया जाता है।
- आईआईएफसीएल का रियायत प्राधिकरण के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है।

<u>लाभ</u>

<u>(i) बैंक:</u>

- बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम कम करती है
- पूंजी जारी करना: अधिक परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए बैंकों की नकदी में सुधार करती है
- आगे के निवेश के लिए पूंजी पर्याप्तता में सुधार
- बैंकों की परिसंपत्ति-देयता में असमानता को दूर करती है
- अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के लिए दीर्घावधि ऋण वित्तपोषण की उपलब्धता सुनिश्चित करती है

<u>(ii) अवसंरचना विकासक/प्रवर्तक:</u>

- लम्बी अवधि के संदर्भ में बढ़ी हुई व्यवहार्यता
- चूँकि पूर्णता जोखिम नहीं है इसलिए ब्याज दरें कम होती हैं

<u>(iii) प्रणाली:</u>

- 'सनराइज सेक्टर्स' सहित अवसंरचना क्षेत्रों के लिए बाजार विकास
- नई परियोजनाएं सृजित करने के लिए सरकार के बहिर्वाह को कम करने में मदद करती है
- अवसंरचना परियोजनाओं में और निवेश आकर्षित करती है

5. टेक आउट वित्तपोषण योजना के महत्व के बारे में और विस्तार से बताते हुए प्रबंध निदेशक, आईआईएफसीएल सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के समक्ष उपस्थित होकर निम्नानुसार बताया: -

"जहां तक आईआईएफसीएल का सवाल है, हमने भारत के वित्तीय बाजार के लिए टेक आउट वित्तपोषण योजना शुरू की है। ऐसा बजट में माननीय वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसरण में किया गया है और इसे भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है । इसका मुख्य उद्देश्य दीर्घकालिक ऋण सुनिश्चित करना और बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम को कम करना है क्योंकि उस समय जब अप्रैल 2010 में टेक आउट वित्तपोषण योजना शुरू की गई थी, सार्वजनिक-निजी साझेदारी की अवधारणा उभर रही थी। अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के लिए बैंकिंग क्षेत्र ऋण का मुख्य स्रोत था और उन्हें कम जोखिम की आवश्यकता थी क्योंकि अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक धन की आवश्यकता होती है, जबकि 80 प्रतिशत बैंकों की देयता प्रोफ़ाइल का अधिकांश हिस्सा अल्पकालिक अवधि के लिए था। लेकिन हमें 15 से 20 साल की अवधि के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। इसे सुनिश्चित करने के लिए टेक आउट वित्तपोषण योजना बनाई गई। टेक आउट वित्तपोषण योजना का प्रभाव पड़ा है, हमने 1.93 लाख करोड़ रुपये के परियोजना परिव्यय वाली 115 परियोजनाओं में 27,376 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं और हमने 58 परियोजनाओं में 16,413 करोड़ रुपये वितरित किए हैं।"

6. आईआईएफसीएल सितंबर 2013 से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ एक गैर-बैंकिंग वित्तपोषण कंपनी- जमा न लेने वाली अवसंरचना संबंधी वित्तपोषण कंपनी (एनबीएफसी-एनडी-आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है और आरबीआई के निर्दिष्ट दिशानिर्देशों और मानदंडों का पालन करता है। भारत सरकार ने मई 2019 में 500 करोड़ रुपये और मार्च 2020 में पुनर्पूंजीकरण बांड्स के माध्यम से आईआईएफसीएल में 5,300 करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश किया है। कंपनी की अधिकृत पूंजी 10,000 करोड़ रुपये है और कंपनी की प्रदत पूंजी 9,999.92 करोड़ रुपये (30 नवंबर 2020 तक) है।

7. टेक आउट वित्तपोषण योजना (टीएफएस) के तहत आईआईएफसीएल द्वारा अब तक वितरित ऋण की राशि और अब तक वित्तपोषित परियोजनाओं की संख्या और एनपीए के रूप में सामने आने वाली परियोजनाओं की संख्या के बारे में पूछे जाने पर कंपनी ने एक लिखित नोट में बताया कि टीएफएस के तहत अब तक 58 परियोजनाओं को कुल 16,413 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई, जिसमें से केवल 8 मामलों में वितरित की गई कुल 1411.64 रुपये की राशि एनपीए में बदल गई। इसका तात्पर्य यह है कि आईआईएफसीएल द्वारा लगभग 13.8% परियोजनाओं में राशि वितरित की गई थी, जिसमें से वितरित राशि का 8.6% एनपीए हो गया।

8. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने रायपुर अपशिष्ट प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड (आरडब्ल्यूएमपीएल) और भिलाई दुर्ग अपशिष्ट प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड (बीडीडब्ल्यूएमपीएल) के मामले में आईआईएफसीएल द्वारा टेक आउट वित्तपोषण योजना के तहत वित्तपोषण की जांच की। 2020 की अपनी रिपोर्ट सं. 18 में सीएजी ने 'टेक आउट' वित्तपोषण योजना के निष्पादन में आईआईएफसीएल की ओर से कई कमियों को इंगित किया था। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने अपने 2021-22 के कार्यकाल के दौरान इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईआईएफसीएल) से संबंधित समाप्त परियोजनाओं में ऋण की अवधि बढ़ाए जाने के कारण हुई परिहार्य हानि संबंधी नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन के लेखापरीक्षा पैरा सं. 5.2 को जांच के लिए और ततसंबंधी प्रतिवेदन संसद को प्रस्तुत करने हेतु चुना । समिति ने इस विषय की जांच के दौरान अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिकारियों, आईआईएफसीएल और वित्तीय सेवाएं विभाग (वित्त मंत्रालय) के प्रतिनिधियों के विचारों को सुना। लेखापरीक्षा पैरा पर समिति की विस्तृत टिप्पणियां इस प्रतिवेदन के आगामी पैराओं में दी गई हैं।

ख. लेखापरीक्षा पैरा

(एक) समाप्त परियोजनाओं में ऋण की अवधि बढ़ाए जाने के कारण परिहार्य हानि

9. सीएण्डएजी रिपोर्ट के पैरा 5.2 के अनुसार, आईआईएफसीएल ने बिना रियायतग्राही प्राधिकारियों से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता के अनुपालन को सुनिश्चित किए, और उनके लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा से उधारकर्ताओं की ऋण चुकाने की वांछित क्षमता सुनिश्चित किए बिना टेक आउट वित्त योजना के तहत दो ऋण स्वीकृत और वितरित किए ।

10. इसके अलावा, एक मामले में, आईआईएफसीएल और मूल ऋणदाता बैंकों के बीच टेक आउट वित्तपोषण दस्तावेजों के निष्पादन से पहले ही परियोजना को समाप्त कर दिया गया था, जबकि दूसरे मामले में, आईआईएफसीएल द्वारा ऋण के वितरण से पहले परियोजना की समाप्ति की सूचना दी गई थी। परिणामस्वरूप, 26.20 करोड़ रुपये का ऋण अशोध्य हो गया।

(दो) लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

11. टेक आउट फाइनेंस के लिए आईआईएफसीएल की क्रेडिट नीति, 2012 के अनुसार, रियायतग्राही प्राधिकरण, उधारदाताओं और उधारदाताओं के संघ से टेक आउट होने की निर्धारित तिथि से पहले 'अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी' प्राप्त करना आवश्यक था। हालांकि, रियायतग्राही प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था।

12. आईआईएफसीएल को केवल उन प्रस्तावों पर विचार करना आवश्यक था, जिनका ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर) कम से कम 1:00 था। हालांकि, निर्धारित डीएससीआर की पर्याप्तता को भी ऋणों की स्वीकृति के समय आईआईएफसीएल द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया था।

13. आरएसडब्ल्यूपीएल (रायपुर वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड) के मामले में, रियायत समझौते की समाप्ति के लिए नोटिस आईआईएफसीएल द्वारा ऋण की मंजूरी की तारीख (22 सितंबर

2014) से पहले 24 दिसंबर 2013 को दिया गया था, और बीडीडब्ल्यूपीएल (भिलाई दुर्ग वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड) के मामले में, आईआईएफसीएल द्वारा वित्तपोषण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर 27 नवंबर 2014 को यानी रियायत समझौते की समाप्ति (24 नवंबर 2014) के बाद किए गए थे। इसके अलावा, दोनों मामलों में निधियों का संवितरण इसके रियायत समझौतों की समाप्ति के बाद किया गया था, जो एसपीवी को अविवेकपूर्ण तरीके से ऋण दिए जाने की ओर इंगित करता है।

14. आईआईएफसीएल ने नवंबर 2019 में कैग को यह कहते हुए जवाब दिया था कि 28 अक्तूबर 2014, 29 अक्तूबर 2014 और 26 नवंबर 2014 को एनओसी सभी ऋणदाताओं से टेक आउट करने से पहले प्राप्त किए गए थे। आगे यह उत्तर दिया गया कि जुलाई 2013 से जून 2014 की अवधि के लिए डीएससीआर के आधार पर एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित ऋण का वितरण किया गया था।

15. तथापि, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने पाया कि आईआईएफसीएल का उत्तर नीचे बताए गए तथ्यों के अनुरूप नहीं है:

- कंपनी की ऋण नीति के अनुसार छूटग्राही प्राधिकारी से प्राप्त करने के लिए आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था।

- प्राप्त चार एनओसी में से तीन की वैधता (दिनांक 28 अक्टूबर 2014 और 29 अक्टूबर 2014) को सिद्ध नहीं किया जा सका क्योंकि ये दिनांकित नहीं थी और इनमें भविष्य की तारीख का संदर्भ था {अर्थात, 'संशोधित और पुन: स्थापित सुविधा समझौते' की हस्ताक्षर तिथि 27 नवंबर 2014 थी}।

- डीएससीआर के संबंध में, वर्ष 2013-14 के उधारकर्ताओं के वार्षिक खातों से यह देखा गया कि डीएससीआर आरएसडब्ल्यूपीएल के लिए केवल 0.13 और बीडीडब्ल्यूपीएल के लिए 0.48 था अर्थात 1 के निर्धारित अनुपात से कम था।

- इसके अलावा, तथ्य यह रहा कि दोनों मामलों में निधियों का संवितरण इसके रियायत अनुबंधों की समाप्ति के बाद किया गया था।

16. इस प्रकार, सीएजी के अनुसार, अपनी स्वयं की क्रेडिट नीति के प्रावधानों का पालन न करने के कारण, आईआईएफसीएल ने उन परियोजनाओं में ऋण दिया जो पहले ही समाप्त हो चुकी थीं और परिणामस्वरूप उन्हें 26.20 करोड़ रुपये (13.59 करोड़ रुपये और 12.61 करोड़ रुपये बट्टे खाते में डाले गए) की हानि हुई। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अनुशंसा की कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई कमियों के लिए जिम्मेदारी तय की जाए।

17. सीएजी और आईआईएफसीएल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आरडब्ल्यूएमपीएल और बीडीडब्ल्यूपीएल को ऋण की मंजूरी और वितरण की घटनाओं का क्रम नीचे दिया गया है:

घटनाओं का कालक्रम		
दिनांक	**आरडबल्यूएमपीएल**	**बीडीडबल्यूपीएल**
जनवरी - 2013	उधारदाताओं के प्रारंभिक सेट से ऋण सुविधा प्राप्त की	उधारदाताओं के प्रारंभिक सेट से ऋण सुविधा प्राप्त की
24/12/13	**तामील किए गए रियायत समझौते की समाप्ति की सूचना**	**तामील किए गए रियायत समझौते की समाप्ति की सूचना**
27/08/14	परियोजना को भारत रेटिंग और अनुसंधान द्वारा विधिवत रूप से IND BBB क्रेडिट रेटिंग प्रदान की गई	27/08/14
22/09/14	**ऋण की स्वीकृति की तिथि**	---
17/10/14	आईआईएफसीएल द्वारा किया गया पूर्व संवितरण स्थल निरीक्षण	आईआईएफसीएल द्वारा किया गया पूर्व संवितरण स्थल निरीक्षण
21/10/14	ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट द्वारा दी गई रेटिंग।	ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट द्वारा दी गई रेटिंग।
28/10/14	एनओसी जारी किया गया। कंसोर्टियम	एनओसी जारी किया गया। कंसोर्टियम
29/10/14	उधारदाताओं से प्राप्त पत्र इस बात की पुष्टि करते हैं कि ऋण उनके बही खाते में 'मानक' संपत्ति है।	उधारदाताओं से प्राप्त पत्र इस बात की पुष्टि करते हैं कि ऋण उनके बही खाते में 'मानक' संपत्ति है।
30/10/14	डीएससीआर गणना 1:16 आरडब्ल्यूपीएल और बीडीडब्ल्यूपीएल के लिए 13 जुलाई से 14 जून तक ज्ञानोबा और भट, सीए	----------

	द्वारा दी गई ---------	
24/11/14	**---------**	**रियायत समझौते की समाप्ति**
26/11/14	. एनओसी एनओसी जारी। कंसोर्टियम उधारदाताओं से प्राप्त पत्र इस बात की पुष्टि करते हैं कि ऋण उनकी पुस्तक में 'मानक' संपत्ति है।	एनओसी एनओसी जारी। कंसोर्टियम उधारदाताओं से प्राप्त पत्र इस बात की पुष्टि करते हैं कि ऋण उनकी पुस्तक में 'मानक' संपत्ति है।
27/11/14	. आरडब्ल्यूएमपीएल ने प्रस्तुत किया कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा लंबित नहीं था जिसका उनकी परियोजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।	वित्तीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना अर्थात 24.11.14 को रियायत समझौते की समाप्ति के बाद
28/11/14	लेंडर्स लीगल काउंसिल (एलएलसी) बी7बी लीगल सिंडिकेट ने कहा कि दस्तावेज कानून के अनुसार हैं ----	----------
03/12/14	**टेक आउट के माध्यम से वितरित ऋण टेक आउट के माध्यम से वितरित ऋण**	**टेक आउट के माध्यम से वितरित ऋण टेक आउट के माध्यम से वितरित ऋण**
13/08/15	----------	बीडीडब्ल्यूपीएल ने सूचित किया कि दिनांक 13.08.15 को 24.11.14 के समाप्ति नोटिस की सूचना दी गई थी।
24/08/15	जेएलएम में कैथोलिक सीरियन बैंक ने सूचित किया कि नगर निगम से कोई लिखित संचार प्राप्त नहीं हुआ था और उधारदाताओं को प्रतियां प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था।	

ग. <u>लेखापरीक्षा टिप्पणियों में सामने आए मुद्दे</u>

(I) <u>रियायत समझौते की समाप्ति के बाद रायपुर वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (आरडबल्यूएमपीएल) को ऋण का वितरण</u>

18. लेखापरीक्षा के अनुसार, रायपुर वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (आरडब्ल्यूएमपीएल) के मामले में, हालांकि रियायत समझौते की समाप्ति के लिए नोटिस ऋण की मंजूरी की तारीख से पहले दिया गया था, फिर भी, आईआईएफसीएल ने ऋण का वितरण किया था। आरडब्ल्यूएमपीएल के संबंध में परियोजना की समाप्ति के बाद ऋण की मंजूरी और वितरण के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, आईआईएफसीएल ने निम्नलिखित बताया:

> "उक्त परियोजना के वाणिज्यिक संचालन के 01 वर्ष से अधिक समय के बाद जनवरी 2013 में उक्त परियोजना ने उधारदाताओं के संघ के प्रारंभिक सेट से 30.36 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा प्राप्त की। उक्त परियोजना के विधिवत रूप से एक वर्ष से अधिक का समय सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, दिसंबर 2014 में, आईआईएफसीएल ने अपनी 'टेक आउट फाइनेंस' योजना के तहत, जैसा कि भारत सरकार का अधिदेश है, 03.12.2014 को टेक आउट फाइनेंस के माध्यम से ऋण का वितरण किया, जिससे धनलक्ष्मी बैंक और कैथोलिक सीरियन बैंक के कुल 13.59 करोड़ रुपये के ऋण का हस्तांतरण कर लिया गया। इस प्रकार संवितरण सीधे बैंक को ही किया गया था उक्त परियोजना के प्रमोटर को कोई राशि वितरित नहीं की गई थी।
>
> परियोजना के शुरुआती ऋणदाता और वे ऋणदाता जिन्हें आईआईएफसीएल ने उक्त ऋण वितरित किया था, धनलक्ष्मी बैंक (डीबी) और कैथोलिक सीरियन बैंक (सीएसबी) थे।
>
> परियोजना के रियायत समझौतों के अनुच्छेद 6 के खंड संख्या 6.1 (छ) के अनुसार संबंधित रियायत प्राधिकरण (नगर निगम) ऋणदाताओं को किसी भी समाप्ति या चूक की घटना उक्त परियोजनाओं में छूटग्राही की ओर से उल्लंघन की घटना के बारे में

सूचित करने के लिए बाध्य थे जो कि रियायती अधिकारियों या किसी अन्य द्वारा शुरू की गई थी। टर्मिनेशन नोटिस जारी करने और उक्त परियोजना को समाप्त करने का विवरण, आईआईएफसीएल या लीड ऋणदाता को मूल्यांकन चरण के दौरान और न ही संवितरण चरण के दौरान रियायत प्राधिकारी द्वारा प्रदान किया गया था जो कि रियायत समझौते के खंड 6.1 (छ) का उल्लंघन है। आईआईएफसीएल द्वारा वितरण पूर्व स्थल का निरीक्षण दिनांक 17.10.2014 को किया गया था।

ऋणदाताओं के कंसोर्टियम द्वारा नियुक्त ऋणदाताओं के कानूनी सलाहकार (एलएलसी) बी एंड बी लीगल सिंडिकेट ने परियोजना के लिए दिनांक 28.11.2014 की अपनी राय के माध्यम से कहा कि उन्होंने ऋण / सुरक्षा दस्तावेजों (प्राधिकरणों से रियायत समझौते सहित) की जांच की है और प्रमाणित किया है कि दस्तावेज कानून के अनुसार हैं जो कि इस बात को खारिज करता है कि उक्त परियोजनाओं में रियायती प्राधिकरणों द्वारा कोई भी समाप्ति या चूक संबंधी कार्रवाई शुरू की गई थी या जारी है। रायपुर अपशिष्ट प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड के मामले में 24.08.2015 को आयोजित जेएलएम में (03.12.2014 को आईआईएफसीएल द्वारा संवितरण के बाद 08 महीने बीत चुके थे) कैथोलिक सीरियन बैंक (ऋणदाता एजेंट) ने सूचित किया कि नगर निगम से समाप्ति के संबंध में कोई लिखित सूचना प्राप्त नहीं हुई है और यह निर्णय लिया गया था कि प्रमोटर से ऋणदाताओं को प्रतियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाए।

नोटिस/समाप्ति से संबंधित सूचना भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा, किसी भी ऋणदाता को आईआईएफसीएल की मंजूरी या संवितरण के समय जारी नोटिस/समाप्ति नोटिस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके अलावा, कंपनी ने दिनांक 27-11-2014 को पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें इस बात की पुष्टि की गई थी कि कंपनी के खिलाफ कोई मुकदमा लंबित नहीं है जिसका परियोजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

सभी मौजूदा कंसोर्टियम ऋणदाताओं से प्राप्त दिनांक 26-11-2014, 28-10-2014 और 29-10-2014 के पत्र और अनापत्ति प्रमाण पत्र, यह पुष्टि करते हैं कि ऋण उनके बही में ऋण के संवितरण से पहले 'मानक' परिसंपत्ति के रूप में दर्ज है जो कि यह दर्शाता है कि मौजूदा उधारदाताओं में से किसी को भी प्राधिकरण से कोई

समाप्ति/नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था। अन्यथा, उक्त मौजूदा बैंकों को अपने बही में खाते को 'मानक' के बजाय राइट-ऑफ/एनपीए के रूप में वर्गीकृत करना होता।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित बाहरी रेटिंग एजेंसियों नामतः इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च एंड ब्रिकवर्क ने 'बीबीबी' रेटिंग दी है, जो स्थिर निवेश ग्रेड आउटलुक की पुष्टि करता है जो यह दर्शाता है कि वर्तमान में परियोजना में कोई चूक नहीं है अथवा परियोजना में प्राधिकरण द्वारा समाप्ति जारी करने की जानकारी प्राप्त नहीं की गई थी। इस परियोजना को इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च द्वारा स्वीकृति से एक महीने पहले अर्थात दिनांक 27-08-2014 को विधिवत रूप से आईएनडी बीबीबी-क्रेडिट रेटिंग दी गई। दूसरी रेटिंग 21-10-2014 को ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त की गई थी, जिसने परियोजना को बीडब्ल्यूआर बीबीबी रेटिंग दी थी, जो कि ऋण के संवितरण से पहले प्राप्त की गई थी।

एक वर्ष अर्थात जुलाई, 2013 से जून, 2014 तक की अवधि के लिए रायपुर अपशिष्ट प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड के मामले में 1.16 के डीएससीआर को विधिवत प्रमाणित करने वाला सांविधिक लेखापरीक्षक प्रमाण पत्र दोनों खातों में संवितरण की कार्रवाई के दौरान प्राप्त किया गया था।

इसलिए आईआईएफसीएल द्वारा अपनी ऋण नीति के अनुपालन में ऋण के मूल्यांकन और संवितरण के दौरान आवश्यक सावधानी बरती गई थी और सम्यक प्रक्रिया का पालन किया गया था।

इसके अलावा, 24 अगस्त 2015 को आईआईएफसीएल सहित ऋणदाताओं को उस तारीख को आयोजित कंसोर्टियम की बैठक में सूचित किया गया और 25 नवंबर 2014 के समझौते की समाप्ति का विवरण प्राप्त किया गया। यह नोट किया जाए कि संवितरण 03 दिसंबर, 2014 को हुआ। यह समाप्ति पत्र की तारीख से केवल 05 कार्य दिवस हैं और उक्त नोटिस और समाप्ति पत्र आईआईएफसीएल या किन्हीं अन्य मौजूदा ऋणदाताओं (पुराने ऋणदाताओं सहित) को संबोधित नहीं किए जाते / भेजे नहीं जाते जो कि रियायत समझौते के खंड 6.1 (ज) का उल्लंघन है। इस प्रकार, उस समय आईआईएफसीएल के पास इस मामले में कोई कार्रवाई करने के लिए सूचना उपलब्ध नहीं थी।

अगस्त 2015 में परियोजना रियायत की समाप्ति का विवरण प्राप्त होने पर आईआईएफसीएल ने तुरंत नगर निगम को रियायत समझौते के अनुसार प्रतिस्थापन के लिए अनुमति देने की सलाह दी। तथापि, नगर निगम ने रियायत करार के लागू उपबंधों का उल्लंघन करते हुए अनुमोदन प्रदान नहीं किया। नगर निगम/प्राधिकरण द्वारा रियायत करार के तहत दायित्वों को पूरा न करने के ढुलमुल रवैये के कारण यह परियोजना व्यवहार्य नहीं रह गई है।

(II) <u>भिलाई दुर्ग अपशिष्ट प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड (बीडीडब्ल्यूएमपीएल) को रियायत करार की समाप्ति के बाद ऋण का संवितरण</u>

19. जब बीडीडब्ल्यूएमपीएल के संबंध में परियोजना की समाप्ति के बाद ऋण की मंजूरी और वितरण के कारणों के बारे में पूछा गया, तो आईआईएफसीएल ने निम्नवत बताया:

"उक्त परियोजना के लिए जनवरी 2013 में ऋणदाताओं के कंसोर्टियम के प्रारंभिक सेट से 27.69 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त हुआ। उक्त परियोजना के सफल वाणिज्यिक प्रचालन के 01 वर्ष से अधिक समय को विधिवत रूप से पूरा करने के बाद आईआईएफसीएल ने दिसंबर, 2014 में अपनी टेक आउट फाइनेंस योजना के तहत, जैसा कि भारत सरकार द्वारा अधिदेशित किया गया है, 03-12-2014 को टेक आउट फाइनेंस के माध्यम से ऋण वितरित किए और परिणामतः धनलक्ष्मी बैंक और साउथ इंडियन बैंक (एसआईबी) के कुल 12.61 करोड़ रुपये के ऋण का अधिग्रहण कर लिया। इस प्रकार संवितरण सीधा बैंकों को ही किया गया था। उक्त परियोजना के प्रमोटर को कोई राशि वितरित नहीं की गई थी। उन ऋणदाताओं जिन्हें आईआईएफसीएल ने उक्त ऋण वितरित किया था सहित परियोजना के शुरुआती ऋणदाता धनलक्ष्मी बैंक (डीबी) और साउथ इंडियन बैंक (एसआईबी) थे।

भिलाई समझौते को 4 अप्रैल 2015 को समाप्त कर दिया गया था और दुर्ग के रियायत समझौते के लिए कोई समाप्ति पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। इस ओर ध्यान दिया जाए क्योंकि 03 दिसंबर 2014 को संवितरण हुआ था। उक्त परियोजना को समाप्त नहीं किया गया था और संदर्भित नोटिस न तो किसी ऋणदाता और न ही आईआईएफसीएल को संबोधित किए गए हैं/भेजे गए हैं। इस मामले में कोई कार्रवाई करने के लिए अगस्त 2015 तक आईआईएफसीएल को कोई सूचना उपलब्ध नहीं

थी।

..... (पहले ही कवर कर लिया गया है)

रियायती प्राधिकरण द्वारा उक्त परियोजना को समाप्ति नोटिस जारी किए जाने के ब्यौरे न तो मूल्यांकन चरण और न ही संवितरण चरण के दौरान आईआईएफसीएल या प्रमुख ऋणदाता को उपलब्ध कराए गए जो कि रियायत करार के खंड 6.1 (छ) का उल्लंघन है। आईआईएफसीएल द्वारा संवितरण-पूर्व स्थल निरीक्षण दिनांक 17-10-2014 को किया गया था।

ऋणदाताओं के कंसोर्टियम द्वारा नियुक्त ऋणदाताओं के कानूनी सलाहकार (एलएलसी) बी एंड बी लीगल सिंडिकेट ने परियोजना के लिए दिनांक 28.11.2014 की अपनी राय के माध्यम से कहा कि उन्होंने ऋण / सुरक्षा दस्तावेजों (प्राधिकरणों से रियायत समझौते सहित) की जांच की है और प्रमाणित किया है कि दस्तावेज कानून के अनुसार हैं जो कि इस बात को खारिज करता है कि उक्त परियोजनाओं में रियायती प्राधिकरणों द्वारा कोई भी समाप्ति या चूक संबंधी कार्रवाई शुरू की गई थी या जारी है।

भिलाई-दुर्ग अपशिष्ट प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड के मामले में प्रमोटर ने दिनांक 13-08-2015 को आयोजित ऋणदाताओं के कंसोर्टियम की बैठक (03-12-2014 को आईआईएफसीएल द्वारा संवितरण के बाद 08 महीने बीत चुके थे) में सूचित किया था कि भिलाई नगर निगम से समाप्ति नोटिस प्राप्त हुआ है और दुर्ग नगर निगम के मामले में कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। साउथ इंडियन बैंक (ऋणदाता एजेंट) और आईआईएफसीएल को इस संबंध में नगर निगम से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ और उन्होंने प्रमोटर से ऋणदाताओं को प्रतियां भेजने का अनुरोध किया।

नोटिस/समाप्ति से संबंधित सूचना भी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं थी। साथ ही, किसी भी ऋणदाता को आईआईएफसीएल की मंजूरी या संवितरण के समय जारी नोटिस/समाप्ति नोटिस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी इसके साथ ही, कंपनी ने 27.11.2014 को पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें पुष्टि की गई थी कि कंपनी के खिलाफ ऐसा कोई मुकदमा लंबित नहीं है जिसका परियोजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

दिनांक 26.11.2014, 28.10.2014 और 29.10.2014 को सभी मौजूदा सहायक संघ ऋणदाताओं से प्राप्त पत्र और अनापत्ति प्रमाण पत्र इस बात की पुष्टि करते हैं कि ऋण

अपनी बहियों में 'मानक' आस्ति है, जिन्हें ऋण के वितरण से पहले रिकॉर्ड में लिया गया था, यह दर्शाता है कि इनमें से किसी भी वर्तमान ऋणदाताओं को प्राधिकरण से कोई समाप्ति/नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था, अन्यथा उक्त मौजूदा बैंकों ने खाते को अपनी बहियों में मानक के बजाय बट्टे खाते में डाले गए/अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया होता।

आरबीआई द्वारा अनुमोदित बाहरी रेटिंग एजेंसियों से दो बाहरी रेटिंग, ब्रिकवर्क और इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च को 'बीबीबी- निष्पादित किया गया है, जो स्थिर निवेश ग्रेड आउटलुक की इस प्रकार पुष्टि करता है कि परियोजना में कोई मौजूदा चूक नहीं है या परियोजना में प्राधिकरण द्वारा समापन जारी करने का विचार परियोजना हेतु प्राप्त किया गया था। परियोजना को 27.08.2014 को इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च अर्थात अनुमोदन से एक महीने पूर्व आईएनडी 'बीबीबी- क्रेडिट रेटिंग से सम्मानित किया गया था। दूसरी रेटिंग ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 21.10.2014 को परियोजना को बीडब्ल्यूआर बीबीबी- रेटिंग निष्पादित की गई थी, जिसे ऋण के वितरण से पहले प्राप्त किया गया था।

भिलाई-दुर्ग वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मामले में जून 2013 से जून 2014 तक की अवधि के लिए 1.20 के डीएससीआर को विधिवत प्रमाणित करने वाला सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाण पत्र खाते में संवितरण हेतु प्रसंस्करण करते समय प्राप्त किया गया था।

आईआईएफसीएल ने ऋण के मूल्यांकन और संवितरण के दौरान अपेक्षित सम्यक उद्यम प्रक्रिया और आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया था, इसकी ऋण नीति का सही पालन किया गया।

इसके अतिरिक्त, 13 अगस्त, 2015 को आईआईएफसीएल सहित ऋणदाताओं को उस तारीख को आयोजित संघ की बैठक में सूचित किया गया था (परिशिष्ट XI के रूप में संलग्न कार्यवृत) और केवल भिलाई करार के अनुबंध दिनांक 04 अप्रैल 2015 की समाप्ति का विवरण प्राप्त हुआ और दुर्ग के रियायत करार के लिए कोई समाप्ति पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, यह नोट किया जा सकता है कि संवितरण 03 दिसंबर, 2014 को हुआ था और उक्त परियोजना को समाप्त नहीं किया गया था और साथ ही संदर्भित नोटिस आईआईएफ़सीएल या किसी अन्य मौजूदा ऋणदाताओं (आउटगोइंग उधारदाताओं

सहित) को संबोधित / भेजे नहीं गए हैं जो रियायत करार के खंड 6.1(छ) का उल्लंघन है। इस प्रकार उस समय इस मामले में कोई कार्रवाई करने के लिए आईआईएफसीएल के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी ।

अगस्त 2015 में परियोजना रियायत की समाप्ति के विवरण प्राप्त होने पर, आईआईएफसीएल ने तत्काल नगर निगम को रियायत करार के अनुसार प्रतिस्थापन की अनुमति देने की सलाह प्रदान की। हालांकि, नगर निगमों ने रियायत करार के निष्पादित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मंजूरी नहीं दी है। नगर निगमों / प्राधिकरण द्वारा रियायत करार के तहत दायित्वों का सम्मान नहीं करने के उदासीन रवैये के कारण परियोजना अव्यावहारिक हो गई है।

20. आईआईएफसीएल के उत्तर के जवाब में लेखापरीक्षा ने निम्नानुसार स्पष्ट किया:

'उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि टेक आउट वित्त के लिए आईआईएफसीएल की ऋण नीति 2012 के अनुसार, रियायती प्राधिकरण, ऋणदाताओं और उधारदाताओं के संघ से (एनओसी) टेक आउट होने की निर्धारित तिथि से पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक था। तथापि, रियायत प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया गया।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा से पूर्व यह प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए मामले को कभी रियायत प्राधिकारी के समक्ष उठाया गया था।

भिलाई दुर्ग अपशिष्ट प्रबंधन मामले में, उधारकर्ता ने 21.10.2014 को बीएमसी (अर्थात रियायती प्राधिकरण) को रियायत करार की समाप्ति की प्रारंभिक सूचना जारी की थी, जिसके बाद बीएमसी द्वारा कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण,रियायत समझौते के अनुच्छेद 9.2 (ग) के तहत 24.11.2014 को रियायत करार की समाप्ति की सूचना दी गई थी। इसलिए, तथ्य यह है कि आईआईएफसीएल द्वारा विशेष रूप से इस तथ्य के मद्देनजर कि चूक पहले ही हो चुकी थी, संवितरण करने से पहले अपेक्षित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था और समाप्ति नोटिस भी जारी कर दिया गया था और 90 दिनों का निर्धारित समय बीत जाने का पश्चात वास्तविक समाप्ति एक पूर्व निश्चित परिणाम था।

इसके अतिरिक्त, आईआईएफसीएल ने स्वयं स्वीकार किया कि उन्हें इस मामले में कोई कार्रवाई करने के लिए समाप्ति नोटिस जारी करने और बाद में परियोजना को समाप्त करने के बारे में अगस्त 2015 तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। यह स्वीकार करने के समान ही है कि आंतरिक नियंत्रण विफल रहा था।

इसके अतिरिक्त,आईआईएफसीएल का उत्तर कि 'ऋणदाताओं के संघ द्वारा नियुक्त ऋणदाताओं के कानूनी परामर्शदाता (एलएलसी) बीएंडबी कानूनी संडिकेट ने परियोजनाओं के लिए दिनांक 28.11.2014 की अपनी राय के माध्यम से निर्दिष्ट किया कि उन्होंने ऋण/सुरक्षा दस्तावेजों की जांच की है (प्राधिकारियों से रियायत करार सहित) और प्रमाणित किया कि दस्तावेज कानूनी तौर पर सही हैं, अत: यह किसी भी समाप्ति या चूक की घटना को खारिज करते हुए रियायत अधिकारियों द्वारा शुरू किया गया था या उक्त परियोजनाओं में जारी था।

इसके अतिरिक्त आईआईएफसीएल का उत्तर कि 'कंपनी ने 27.11.2014 को पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें पुष्टि की गई थी कि कंपनी के खिलाफ कोई मुकदमा लंबित नहीं था जिसका परियोजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा' भी प्रासंगिक नहीं है क्योंकि यह परियोजना की समाप्ति के संबंध में परियोजना की स्थिति या जानकारी की पुष्टि नहीं करता है।"

21. उपरोक्त टिप्पणियों पर आईआईएफसीएल का स्पष्टीकरण आरडब्ल्यूएमपीएल के मामले के समान था।

(III) <u>टेक आउट वित्त योजना में आईआईएफसीएल के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपाय</u>

22. टेक आउट वित्त योजना में आईआईएफसीएल के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के संबंध में कंपनी ने लिखित टिप्पण में निम्नवत बताया:

"भारत सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित टेकआउट फाइनेंस स्कीम (टीएफएस) को निम्नलिखित तरीकों से आईआईएफसीएल की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है:

- टीएफएस (टेकआउट वित्त योजना) के तहत, आईआईएफसीएल केवल उन पूर्ण परियोजनाओं को उधार देता है जो राजस्व अर्जित (बीओटी टोल या वार्षिकी) कर रहे हैं।

• फंड आधारित लेनदेन केवल विद्यमान बैंकों और आईआईएफसीएल के बीच होता है। आईआईएफसीएल द्वारा उधारकर्ता/प्रवर्तक के खाते या परियोजना एस्क्रो खाते में कोई संवितरण नहीं किया जाता है।

• वित्त पोषित परियोजनाओं की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए आईआईएफसीएल निम्नलिखित पर विचार करता है:

क) निवेश ग्रेड के साथ दो बाहरी क्रेडिट रेटिंग,

ख) कम से कम 1 का डीएससीआर सुनिश्चित करके स्थापित संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड,

ग) विद्यमान बैंकों से एनओसी प्राप्त किए जाते हैं

घ) विद्यमान बैंकों के प्रमाण-पत्र जो आस्ति के मानक होने की पुष्टि करते हैं।

टीएफएस की एकमात्र कमी यह है कि रियायत प्राधिकरण के साथ उधारदाताओं का कोई सीधा अनुबंध नहीं है। यह पूरे उधार उद्योग में है, जहां पीपीपी मॉडल के तहत किसी भी बुनियादी ढांचा परियोजना में 70% हिस्सेदारी वाले उधारदाताओं का रियायत प्राधिकरणों के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है।

बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण में इस अंतर को दूर करने के लिए, आईआईएफसीएल ऋणदाताओं के हितों की रक्षा के लिए और तत्काल मामलों में सीएजी द्वारा रेखांकित किए गए मुद्दों को हल करने के लिए और सामाजिक अवसंरचना में नवोदित (सनराइज) क्षेत्रों के वित्तपोषण को प्रोत्साहन देने के लिए सभी क्षेत्रों में त्रि-पक्षीय रियायत समझौते और एक मॉडल रियायत समझौते की आवश्यकता का दावा कर रहा है।

23. यह पूछे जाने पर कि कंपनी को कब पता चला कि आरडब्ल्यूएमपीएल और बीडीडब्ल्यूएमपीएल को दिए गए ऋण गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) में परिवर्तित हो गए हैं, वित्तीय सेवाएं विभाग के प्रतिनिधियों ने मौखिक साक्ष्य के दौरान जानकारी दी कि:

"सर, मैं आपकी अनुमति से निवेदन करना चाहूंगा कि सीएंडएजी ऑडिट ने इसके अंदर जो मुख्यत: दो ऋण - रायपुर वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और भिलाई दुर्ग वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को आईएफसीएल द्वारा 13.71 करोड़ रुपये और 12.74 करोड़ रुपये क्रमश: सितंबर, 2014 में सैंक्शन किए और दिसंबर, 2014 में उनको डिस्बर्स

किया। यह लोन टेकआउट लोन के द्वारा था, मतलब पहले यह ऑलरेडी धनलक्ष्मी बैंक, कैथॉलिक सीरियन बैंक, साउथ इंडियन बैंक के द्वारा फाइनेंस किया हुआ था। यह लोन बाद में एनपीए हो गया। इसके बारे में लेखापरीक्षा के ऑडिट में उभर कर आया है"।

(IV) **<u>निर्धारित ऋण अदायगी कवरेज अनुपात (डीएससीआर) की पर्याप्तता</u>**

24. समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या आरडब्ल्यूएमपीएल और बीडीडब्ल्यूएमपीएल के पास निर्धारित ऋण अदायगी सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर) की पर्याप्तता सुनिश्चित की गई थी, आईआईएफसीएल ने समिति को अपने लिखित उत्तर में निम्नवत जानकारी प्रदान की:

"लागू टेकआउट वित्त योजना मानदंड यह निर्धारित करते हैं कि वास्तविक टेकआउट की घटना के समय परियोजना का ऋण सेवा अनुपात (डीएससीआर) कम से कम 1.00 होना चाहिए। तदनुसार, जुलाई 2013 से जून 2014 की अवधि के लिए ऋण सेवा अनुपात (डीएससीआर) को विधिवत सत्यापित किया गया है और सिफ़्टी के टेक-आउट वित्तपोषण मानदंडों के अनुपालन में 1.00 से अधिक पाया गया है। कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक से एक वर्ष के लिए 1.00 से अधिक के ऋण सेवा अनुपात (डीएससी आर) की पुष्टि करने वाला सीए प्रमाणपत्र लागू टेकआउट वित्त दिशानिर्देशों के अनुपालन में संवितरण के समय प्राप्त किया गया है।

जून 2013 से जून 2014 तक संचालन के एक वर्ष की अवधि हेतु रायपुर वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (आरडब्ल्यूएमपीएल) के लिए ऋण सेवा अनुपात (डीएससीआर) को 1.16 के रूप में प्रमाणित करने वाले कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों से सीए प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात दिसंबर 2014 में केवल बैंकों के वर्तमान सहायक संघ को परियोजना में संवितरित किया गया था। उपरोक्त लागू टेकआउट वित्त योजना और आईआईएफसीएल की ऋण नीति की शर्तों के अनुपालन में किया गया है।

इसके अतिरिक्त, यह नोट किया जा सकता है कि कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक से प्राप्त सीए प्रमाण पत्र पीएटी, ब्याज, मूल्यहास, राजस्व, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय आदि जैसे वित्तीय विवरणों को प्रमाणित करता है, जिसके आधार पर ऋण सेवा अनुपात (डीएससीआर) की गणना की गई है।"

25. इसी मुद्दे पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के समक्ष वित्तीय सेवाएं विभाग के एक प्रतिनिधि ने निम्नानुसार जानकारी प्रदान की:

"डीएससीआर की गणना और फिगर्स दिए गएहैं, वे वर्ष 2013-14 के हैं जबकि पालिसी के द्वारा पिछला एकवर्ष है, जब ये लोन सितम्बर में सैंक्शन हुए, तो उन्हें जुलाई 2013 से लेकर जून 2014 को देखा जोकि सबसे नवीनतम अवधि थी। मैं समझता हूं कि यह उचित था और यदि इस पीरियड की गणना हम करते हैं तो उसमें डीएससीआर एक से ऊपर था। रायपुर के लिए यह 1.6 था और भिलाई के लिए 1.20 था। कम्पनी का जो कार्य और फाइनेंसेस थे, वह ठीक था। इन दोनों स्वतंत्र कम्पनियों के लिए रेटिंग भी कराई गई थी। एक इंडिया रेटिंग और ब्रिक वर्क कम्पनी थी। इनके अनुसार भी इनकी वित्तीय स्थिति ठीक थी और इन्हें बीबीबी (ट्रिप्पलबी) रेटिंग दी गई थी। यह पुरानी रेटिंग नहीं थी, बल्कि इन्होंने बिलकुल नवीनतम रेटिंग कराई थी।"

26. सीएजी ने उपरोक्त मुद्दे पर अपनी पुनरीक्षण टिप्पणियों में निम्नानुसार स्पष्ट किया:

'तत्कालीन लागू सिफ्टी टेक आउट फाइनेंसिंग स्कीम मानदंडों की प्रति, यह निर्धारित करते हुए कि वास्तविक टेक आउट की घटना के समय परियोजना का ऋण अदायगी कवरेज अनुपात (डीएससीआर) कम से कम 1.00 होना चाहिए, प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अलावा, विचार की जाने वाली डीएससीआर की अवधि का उल्लेख टेक आउट वित्त योजना के संबंध में आईआईएफसीएल (2012) की क्रेडिट नीति में नहीं किया गया था। हालांकि, आईआईएफसीएल को डीएससीआर तक पहुंचने के लिए उपलब्ध बैलेंस शीट के आंकड़ों पर विचार करना चाहिए। चूंकि दोनों परियोजनाओं के लिए 2013-14 में डीएससीआर 1:00 से कम था, जून 2013 से जून 2014 की अवधि के लिए डीएससीआर पर विचार करने के लिए आईआईएफसीएल का उत्तर मान्य नहीं है।

27. उपर्युक्त मुद्दे पर, सीएंडएजी ने समिति के समक्ष साक्ष्य के दौरान पुन: निम्नानुसार अभिसाक्ष्य दिया:

"जुलाई 2013 से जून 2014 के स्कोर के बारे में मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। आम तौर पर, त्रैमासिक स्कोर अलेखापरीक्षित आंकड़े होते हैं। तो, अप्रैल 2013 से मार्च 2014 का आंकड़ा एक लेखापरीक्षित आंकड़ा है जो बैलेंस-शीट के साथ आता है। तो, ये अलेखापरीक्षित आंकड़े हैं। अगर हम .24 से 1 से अधिक का अंतर देखें, तो सिर्फ एक

तिमाही में, एक लेखापरीक्षक के मस्तिष्क में पहली बात यह आती है कि यह एक अलेखापरीक्षित आंकड़ा है। इस भय से कि यह एक अलेखापरीक्षित आंकड़ा है, आगामी एक वर्ष के भीतर, कंपनी को 'गॉन बैड' के रूप में जाना जाता है और इसे बंद कर दिया जाता है। इसलिए, इस हद तक, मुझे लगता है कि जब आप भविष्य में आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं और जब आप इसे शामिल करना चाहते हैं, तो नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से हमारा सुझाव यह होगा कि आप कृपया लेखापरीक्षित आंकड़ों पर विचार करें, न कि अलेखापरीक्षित आंकड़ों को।"

(V) <u>अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त न होना और समझौते में अन्य खामियां</u>

28. लेखापरीक्षा टिप्पणी के अनुसार, आईआईएफसीएल को केवल उन प्रस्तावों पर विचार करना आवश्यक था, जिनका ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर) कम से कम 1.00 था। हालांकि, मंजूरी के समय आईआईएफसीएल द्वारा निर्धारित डीएससीआर की पर्याप्तता भी सुनिश्चित नहीं की गई थी क्योंकि वर्ष 2013-14 के लिए डीएससीआर क्रमशः आरडब्ल्यूएमपीएल और बीडीडब्ल्यूपीएल के लिए 0.13 और 0.48 था। एनओसी प्राप्त नहीं करने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, आईआईएफसीएल ने एक लिखित नोट में समिति को निम्नवत जानकारी दी:

"आईआईएफसीएल की ऋण नीति 2012 के अनुसार, ऋणदाता(ओं), रियायत प्राधिकारी (यदि लागू हो) और संघ से अनापत्ति प्रमाण पत्र, टेकआउट की निर्धारित तिथि से पहले प्रदान किया जाना है। उक्त रियायत करार में ऐसा कोई खंड/प्रावधान/आवश्यकता नहीं है जो यह निर्धारित करती हो कि उधारदाताओं द्वारा टेकआउट सुविधा देने से पहले किसी भी ऋणदाता या उधारकर्ता द्वारा संबंधित रियायती प्राधिकरणों से एक एनओसी प्राप्त की जानी है। इसलिए, भले ही आईआईएफसीएल ने एनओसी के लिए आवेदन किया हो, प्राधिकरण के लिए इस तरह के एनओसी जारी करने के लिए रियायत करार के तहत कोई प्रावधान नहीं थे। तदनुसार, चूंकि रियायत प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लागू नहीं था/उक्त रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक नहीं था, आईआईएफसीएल को टेकआउट वित्त प्रदान करने के लिए रियायत प्राधिकारी से कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। रियायत करार के खंड संख्या 5.2 के अनुसार, वित्त व्यवस्था से संबंधित, यह रियायत (उधारकर्ता) का दायित्व है कि

वह अपनी लागत, व्यय और जोखिम पर आईएसडबल्यूएमपी (परियोजना) की लागत को पूरा करने के लिए वित्तपोषित करें। तदनुसार, रियायतग्राही को परियोजना की आवश्यकताओं के अनुसार उधारदाताओं को बदलने/टेक आउट करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त,आईआईएफसीएल को टेक आउट वित्त देने के लिए रियायत प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी।

29. आईआईएफसीएल के उपर्युक्त उत्तर के संबंध में, लेखापरीक्षा ने आगे निम्नवत स्पष्टीकरण दिया:-

"उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि टेक आउट वित्तपोषण के लिए आईआईएफसीएल की ऋण नीति 2012 के अनुसार, रियायतग्राही प्राधिकरण,ऋणदाताओं और ऋणदाताओं के कंसोर्टियम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) टेक आउट होने की निर्धारित तारीख से पहले प्राप्त किया जाना अपेक्षित था। तथापि, रियायतग्राही प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, यह साबित करने के लिए कि अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए इस मामले को रियायतग्राही प्राधिकरण के साथ कभी उठाया गया था,लेखापरीक्षा के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं ।

इसके अलावा, रायपुर अपशिष्ट प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड और रायपुर नगर निगम के बीच रियायती समझौता (सीए) किया गया था। इस प्रकार, जहां तक सीए का संबंध था, आईआईएफसीएल के लिए कोई संविदात्मक दायित्व/सुरक्षा उपलब्ध नहीं थी."

30. आईआईएफसीएल ने लेखापरीक्षा की टिप्पणियों पर अपनी कार्रवाई का औचित्य सिद्ध करते हुए आगे निम्नवत बताया :-

"आईआईएफसीएल की क्रेडिट नीति 2012 के अनुसार टेक आउट वित्तपोषण के लिए कंपनी को योजना के तहत टेक आउट वित्तपोषण प्रदान के लिए आईआईएफसीएल को ऋणदाता(ओं), रियायतग्राही प्राधिकरण (सीए) (यदि लागू हो) और कंसोर्टियम से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रदान किया जाना है। यह अनापत्ति प्रमाण पत्र की व्यवस्था उधारकर्ता कंपनी/ऋणदाता (ओं) द्वारा टेक आउट होने की निर्धारित तिथि से पहले किया जाना है।"

आईआईएफसीएल ने लागू ऋण नीति के अनुसार टेक आउट राशि केवल ऋणदाताओं के कॉन्सरटियम के मौजूदा बैंकों को ही वितरित की थी, टेक आउट होने की निर्धारित तारीख से पहले उधारदाताओं से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था की जानी थी। इसकी प्रयोज्यता ऋणदाताओं द्वारा एनओसी प्रदान करने की स्थिति में होती क्योंकि टेक आउट सीधे आईआईएफसीएल और ऋण देने वाले बैंकों के बीच था।

तदनुसार, आईआईएफसीएल की क्रेडिट नीति 2012 के प्रावधानों के अनुपालन में, आईआईएफसीएल ने आवश्यकताओं के अनुसार तत्काल मामले में टेक आउट को लागू करने से पहले आरडब्ल्यूएमपीएल के मामले में धनलक्ष्मी बैंक और कैथोलिक सीरियन बैंक से और बीडीडब्ल्यूएमपीएल के मामले में धनलक्ष्मी बैंक और साउथ इंडियन बैंक से ऋणदाताओं के कंसोर्टियम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त किए थे। इसके अलावा, दोनों खातों में ऋण के संवितरण से पहले सभी ऋणदाताओं ने आस्ति वर्गीकरण की मानदंडों के अनुसार "मानक" के रूप में पुष्टि की है।

इसके अलावा मौजूदा मामले में, प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना लागू नहीं था क्योंकि रियायत करार में ऐसा कोई खंड/प्रावधान/आवश्यकता नहीं है जो यह निर्धारित करती हो कि टेकआउट सुविधा देने से पहले किसी भी ऋणदाता या उद्धारकर्ता द्वारा रियायती प्राधिकारियों से एनओसी प्राप्त करना आवश्यक है।

यदि आईआईएफसीएल ने एनओसी के लिए आवेदन किया होता, तो भी प्राधिकरण के लिए इस तरह की एनओसी जारी करने के लिए रियायत समझौते के तहत कोई प्रावधान नहीं था। प्राधिकरण के पास आईआईएफसीएल को एनओसी जारी करने के लिए अधिकार नहीं था।

इसके अलावा, मौजूदा उधार देने वाले बैंकों का भी किसी समझौते के तहत रियायत प्राधिकरण के साथ कोई सीधा संबंध नहीं था। आईआईएफसीएल का तृतीय पक्ष होने के कारण रियायत प्राधिकरण के साथ कोई सीधा संबंध नहीं था। इसलिए, आईआईएफसीएल के पास प्राधिकरण से इस तरह की एनओसी प्राप्त करने के लिए अनुरोध करने या प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण से संपर्क करने का कोई संविदात्मक अधिकार नहीं था। इसलिए, आईआईएफसीएल ऐसे किसी भी अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए प्राधिकरण से संपर्क नहीं कर सका।

तदनुसार, चूंकि रियायती प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लागू नहीं था/उक्त रियायत

समझौते के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक नहीं था, आईआईएफसीएल को टेकआउट वित्त का विस्तार करने के लिए रियायती प्राधिकारी से कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी।

रियायत समझौते के खंड संख्या 5.2 के अनुसार, वित्त व्यवस्था से संबंधित, यह छूटग्राही (उधारकर्ता) का दायित्व है कि वह अपनी लागत, खर्च और जोखिम पर आईएसडब्लूएएमपी (परियोजना) की लागत को पूरा करने के लिए वित्तपोषण की व्यवस्था करें। तदनुसार, रियायतग्राही को परियोजना की आवश्यकताओं के अनुसार उधारदाताओं को बदलने/निकालने का अधिकार था।

इस संदर्भ में, आईआईएफसीएल एक तीसरा पक्ष था (मौजूदा बैंकों के ऋण का हिस्सा लेने के इरादे से और छूटग्राही के साथ सीधे लेन-देन नहीं करने के इरादे से) और टेकआउट वित्त का विस्तार करने के लिए रियायती प्राधिकारी से कोई एनओसी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी।

यह ध्यान देने योग्य है कि ऐसी कोई प्रथा नहीं है जहां ऋणदाता (भारत में) बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के संबंध में टेकआउट वित्त, पुनर्वित्त, या डाउन सेलिंग के संदर्भ में वित्तपोषण व्यवस्था में किसी भी बदलाव के लिए रियायत प्राधिकरण से कोई एनओसी मांगते हो।

तदनुसार, उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रचलित उद्योग प्रथा और वर्षों के अनुभव के आधार पर, प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के इस प्रावधान / खंड को संशोधित किया गया है और आईआईएफसीएल की ऋण नीति से हटा दिया गया है (क्रेडिट पॉलिसी दिनांक 09 दिसंबर, 2021)। ”

31. यह पूछे जाने पर कि क्या आईआईएफसीएल की राय है कि ऐसा कोई रियायत समझौता है जिसमे कोई ऐसा खंड न हो जिसमें यह विनिर्दिष्ट किया गया हो कि टेक आउट फाइनेंस सुविधा देने से पहले किसी भी ऋणदाता या उधारकर्ता को रियायती प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, आईआईएफसीएल ने लिखित उत्तर में निम्नानुसार स्पष्ट किया:

"वर्तमान में भारत में, रियायत समझौते केवल रियायती सार्वजनिक प्राधिकरण और रियायतधारक के बीच द्विपक्षीय प्रकृति के हैं। वर्तमान में, ऋणदाता देश में पीपीपी

व्यवस्थाओं में रियायत समझौतों के पक्षकार नहीं हैं।

यह प्रस्तुत किया गया है कि आईआईएफसीएल सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने और सभी संबंधितों के साथ जानकारी साझा करने के लिए रियायती प्राधिकरण, रियायतग्राही और ऋणदाताओं के बीच त्रिपक्षीय समझौते को निर्धारित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को राजी कर रहा है। यह ऋणदाताओं सहित सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करेगा और ऋणदाताओं को संवितरण से पहले विवेकसम्मत निर्णय लेने में सक्षम करेगा। इसलिए यह व्यवस्था के सर्वोत्तम हित में होगा।"

32. तथापि, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह विचार था कि यदि रियायत प्राधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिए गए होते तो आईआईएफसीएल को रद्द करने की सूचना की जानकारी हो जाती और शायद वे ऋण का संवितरण न करते।

33. मौजूदा रियायत करार की कमियों और आदर्श रियायत करार की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए आईआईएफसीएल ने निम्नानुसार स्पष्ट किया है:

"ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक नवोदित क्षेत्र होने के कारण, राज्य सरकारों को अभी भी नई परियोजनाओं को प्रदान करते समय पीपीपी व्यवस्था के तहत मॉडल रियायत समझौता विकसित करना है।

जब आईआईएफसीएल ने 2014 में इन 2 परियोजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत किया, तो रियायत समझौता प्रारंभिक अवस्था में था और इस प्रकार ऋणदाताओं के हितों की रक्षा नहीं करता था और समाप्ति संबंधी प्रावधानों का अभाव था।

इन कमियों को दूर करने के लिए, आईआईएफसीएल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे नवोदित क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में त्रि-पक्षीय रियायत समझौते और मॉडल रियायत समझौते की आवश्यकता पर जोर दे रहा है।

एनएचएआई के साथ आईआईएफसीएल एक त्रिपक्षीय रियायत समझौते के संबंध में ऋणदाताओं की चिंताओं को उठाने का प्रयास कर रहा है और अन्य नवोदित क्षेत्रों में

भी इसी तरह के त्रि-पक्षीय समझौते की वकालत कर रहा है। इस प्रक्रिया में, आईआईएफसीएल ने वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार के साथ मामला उठाया है। आईआईएफसीएल संबंधित मंत्रालयों के साथ चिंताओं को उठा सकता है, जो हमने अतीत में किया है, अब यह संबंधित अधिकारियों, मंत्रालयों और परियोजना अधिकारियों के पास विचाराधीन है कि वे उधारदाताओं द्वारा सामना की जा रही चिंताओं/मुद्दों पर विचार करें और अंतर को पाटने के लिए प्रणाली में आवश्यक संशोधनों/विकास को अपनाएं।"

34. वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए सुधारात्मक उपायों के संबंध में कि भविष्य में इस प्रकार की कोई और प्रकरण न हो, सचिव, डीएफएस ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के समक्ष साक्ष्य के दौरान निम्नवत बताया:

"सर, आगे इस प्रकार का टेकआउट फाइनेंस न हो, उसके लिए अब आईआईएफसीएल ने 3 टियर का एक रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क तैयार किया है। चूंकि प्रोजेक्ट में फाइनेंशियल रिस्क हेतु उन्होंने रैप्सफाइनेंशियल के लिए क्रेडिट रेटिंग करवाली थी, लेकिन इस प्रकार से क्या यह टर्मिनेट हो सकता है? क्या स्थिति है? इन सब चीजों को देखने के लिए या इस प्रकार की अन्य परिस्थितियों के लिए, जिनके कारण कहीं कांट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए या रेवेन्यू कम हो जाए, इस हेतु इस प्रकार का रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क उन्होंने तैयार किया है। आगे के जो भी लोन्स वे दे रहे हैं, उनको वे रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क से क्लीयरेंस मिलने के बाद ही सैंक्शन कर रहे हैं। यही इस के बारे में संक्षेप में मुझे कहना था"।

35. समिति द्वारा त्रिपक्षीय करार की आवश्यकता के बारे में पूछे जाने पर, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के समक्ष डीएफएस के प्रतिनिधियों ने बताया कि:

"विशेष कर जो ट्राइपर्टाइट एग्रीमेंट की बात आईआईएफसीएल ने की है और माननीय सदस्य ने भी की है। टर्मिनेशन के बाद जो पेमेंट है, यदि वह कंसेशनेयर अथॉरिटी स्वयं, भारत सरकार या राज्य सरकार या उसका कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसके पेमेंट के लिए कोई एक तरीका होना चाहिए। मैं आपसे यह निवेदन करूँगा कि समिति इसके बारे में सिफारिश करें"।

(VI) <u>दोषी अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई</u>

36. आरडब्ल्यूएमपीएल के मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, आईआईएफसीएल ने निम्नलिखित लिखित जानकारी प्रदान की:

> "....आईआईएफसीएल ने उक्त मामले के मूल्यांकन और संवितरण के दौरान सभी विवेकसम्मत और अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया था और आईआईएफसीएल के लिए भारत सरकार द्वारा अपनी स्वयं की क्रेडिट नीति और सिफटी के सभी प्रावधानों का पालन और अनुपालन किया है। आईआईएफसीएल उधारकर्ता से बकाया राशि की वसूली के लिए लगातार अनुवर्ती कर्रवाई कर रहा था। आरडब्ल्यूएमपीएल के संबंध में, आईआईएफसीएल ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी), बेंगलुरु में व्यक्तिगत वसूली का मुकदमा दायर किया। आईआईएफसीएल ने 13.71 करोड़ रुपये के ऋण की बकाया राशि को बट्टे खाते डाल दिया है।
>
> आरडब्ल्यूएमपीएल के मामले में आईआईएफसीएल के निर्णय में भी कानूनी दृढ़ता है क्योंकि ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी), बेंगलुरु ने आईआईएफसीएल के पक्ष में अपना आदेश दिया है कि रायपुर अपशिष्ट प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड (एसपीवी) और इसके प्रवर्तक किवर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड 17,98,51,762.10 (17.985 करोड़ रुपये) 9.50% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर रुपये की सम्पूर्ण राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और आईआईएफसीएल के 13.71 करोड़ रुपये के पूरे बकाया ऋण की अंतिम वसूली तक आवेदन की तारीख से 2% का दंडात्मक ब्याज लागू है।
>
> ..... (प्रारूप के पैरा 8 में पहले ही कवर कर लिया गया है)
> ..... (पैरा 9 में पहले ही कवर कर लिया गया है)
>
> आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदन आईआईएफसीएल की लागू कर्मचारी जवाबदेही नीति के अनुसार, तथ्य खोज और व्यापक समीक्षा समिति की दो अलग-अलग समितियों द्वारा उक्त परियोजना में कर्मचारी जवाबदेही कार्रवाही पूरी की गई है। दो अलग-अलग समितियों ने मामले की विस्तार से जाँच की है और आईआईएफसीएल के किसी अधिकारी की ओर से कोई चूक नही पाई गई है।

इस मामले में सक्षम प्राधिकारी, प्रबंध निदेशक द्वारा दो समितियों की रिपोर्टों पर विचार किया गया है, और दो समितियों की सिफारिशों के साथ सहमति व्यक्त की गई है तथा आईआईएफसीएल के किसी भी अधिकारी की ओर से कोई चूक नहीं पाए जाने के साथ तथ्य खोज कार्रवाई को बंद करने की मंजूरी दे दी गई है। इस मामले में आईआईएफ़सीएल के किसी भी अधिकारी की ओर से कोई चूक नही होने के साथ स्टाफ जवाबदेही कार्रवाई को बंद करने की जानकारी आईआईएफ़सीएल के निदेशक मंडल को दे दी गई है।"

37. समिति द्वारा बीडीडब्ल्यूएमपीएल के मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर, आईआईएफसीएल ने निम्नलिखित जानकारी दी:

"..... (पृष्ठ सं. .....पर कवर कर लिया गया है)
.....(पृष्ठ सं. ..... पर कवर कर लिया गया है)
.....(पैरा 10 पर कवर कर लिया गया है)

आईआईएफसीएल उधारकर्ता से बकाया की वसूली के लिए लगातार अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है। भिलाई-दुर्ग परियोजना के संबंध में, आईआईएफसीएल ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी), नई दिल्ली में दायर रिकॉल नोटिस/आवेदित गारेंटी वापस ले ली और संयुक्त वसूली मुकदमा दायर किया है। जिसकी कार्यवाही की जा रही है। आईआईएफसीएल ने 12.61 करोड़ रुपये के कर्ज की बकाया राशि को बट्टे खाते डाल दिया है।

आईआईएफसीएल के फैसले में कानूनी दृढ़ता भी है क्योंकि भिलाई दुर्ग वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मामले में ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) की सुनवाई चल रही है और ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के आदेश का फैसला आईआईएफसीएल के पक्ष में होने की उम्मीद है। इस आदेश से भिलाई दुर्ग वेस्ट मैनेजमेंट प्रा. लिमिटेड और प्रवर्तक 9.50% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 17.18 करोड़ रुपये की संपूर्ण ओए राशि और आईआईएफसीएल के 12.61 करोड़ रुपये के पूरे बकाया ऋण की अंतिम वसूली तक आवेदन की तारीख से 2% के दंडात्मक ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। (इस मामले में डीआरटी आदेश का पुरस्कार

डीआरटी आदेश के अनुरूप आईआईएफसीएल के पक्ष में होने की उम्मीद है जो रायपुर वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मामले में प्रदान किया गया है)।"

..... (पहले ही कवर कर लिया गया है)

....."

38. उपर्युक्त मुद्दे पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अपनी चिंताओं को निम्नानुसार व्यक्त किया:

"तथ्य यह है कि आईआईएफसीएल ने रियायत प्राधिकरण (रायपुर नगर निगम और भिलाई और दुर्ग नगर निगम) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया था जो कि उसकी अपनी ऋण नीति का उल्लंघन था।

इसके अलावा, आईआईएफसीएल ने (i) तथ्य खोज और व्यापक समीक्षा समिति की रिपोर्ट, (ii) आईआईएफसीएल के किसी भी अधिकारी की ओर से कोई चूक नहीं पाए जाने के साथ तथ्य खोज अभ्यास को बंद करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और प्रबंध निदेशक की स्वीकृति से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं, (iii) निदेशक मंडल को कर्मचारी जवाबदेही कार्रवाही को बंद करने की सूचना और आईआईएफसीएलके किसी भी अधिकारी की ओर से कोई चूक नहीं पाई गई और (iv) ऋण वसूली न्यायाधिकरण, बैंगलोर (डीआरटी-2) द्वारा वसूली प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख, अर्थात अक्तूबर 2020 से अब तक, बकाया की वसूली के लिए आईआईएफसीएल द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इसलिए, लेखापरीक्षा इसे सत्यापित करने में असमर्थ है।"

(VII) <u>आईआईएफसीएल द्वारा किए गए सुधारात्मक उपाय</u>

39. जब आईआईएफसीएल द्वारा ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति न होने के लिए टेक आउट फाइनेंसिंग स्कीम में सुधार के लिए किए गए उपायों और आगे के तरीके के बारे में पूछे जाने पर कंपनी ने एक पावरपॉइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से इन उपायों के बारे में निम्नानुसार बताया:

"**<u>आंतरिक सम्यक विवेक (ड्यू डिलिजेंस) और क्रेडिट मूल्यांकन विभाग</u>**

- आंतरिक क्षमताएं और विशेषज्ञता

- उन्नत निगरानी तंत्र
- नियमित सम्यक विवेक और निगरानी

<u>मजबूत जोखिम प्रबंधन कार्य</u>

- स्वतंत्र मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ)
- पूर्ण रूप से समर्पित जोखिम प्रबंधन विभाग: ऋण, बाजार और परिचालन जोखिमों से निपटने हेतु उन्नत क्षमता
- स्वीकृति के पहले बाजार के माहौल का 360 डिग्री मूल्यांकन

<u>सुदृढ़ कानूनी विभाग</u>

- आईआईएफसीएल द्वारा स्वतंत्र विशेषज्ञों और प्रतिष्ठित कानूनी फर्मों की नियुक्ति

<u>पर्याप्त और निरंतर क्षमता निर्माण</u>

- सभी अधिकारियों को प्रचालन क्षेत्रों में तकनीकी प्रशिक्षण देना

<u>विशेषज्ञ वसूली और एनपीए प्रबंधन</u>

- बाहरी विशेषज्ञ: स्वतंत्र उच्च स्तरीय सलाहकार समित जिसकी अध्यक्षता मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश और बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कार्यकारी निदेशकों द्वारा की जायेगी
- वसूली ओर एनपीए प्रबंधन में विशेष कौशल वाले अधिकारी

<u>डिजिटल पहल</u>

- वास्तविक समय ऑनलाइन निगरानी प्रणाली, भारत में अपनी तरह का पहली प्रणाली
- बेहतर ट्रेकिंग और निगरानी के लिए सेवाओं का डिजिटाइजेशन

भावी योजना (वे फॉरवर्ड)

रियायती प्राधिकरण के साथ त्रि-पक्षीय करार

- उल्लिखित मामलों से निपटने के लिए
- उधारकर्ताओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए
- सामाजिक अवसंरचना में नवोदित क्षेत्रों को वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए

क्षेत्रों के बीच मॉडल रियायत करार तैयार करना

- उद्योग प्रथा के अनुसार प्रक्रियाओं का मानकीकरण
- यह सुनिश्चित करने के लिए समापन, मध्यस्थता इत्यादि के मामले में बैंकों को अपनी बात रखने का समान अवसर मिले।"

भाग-दो

समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें

क. सिंहावलोकन

अवसंरचना क्षेत्र में सरकारी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार ने अवसंरचना परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जनवरी, 2006 में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) की स्थापना एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में की थी। आईआईएफसीएल ने बैंकों और अन्य प्रमुख हितधारकों के परामर्श से 'टेक आउट' वित्तपोषण योजना शुरू की और इसे विकसित किया। यह योजना 16 अप्रैल 2010 को शुरू की गई थी और यह 'एसआईएफटीआई' के तत्वावधान में संचालित होती है। टेक आउट वित्तपोषण स्कीम का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में दीर्घकालिक ऋण सुनिश्चित करना और जोखिम को कम करना है क्योंकि उस समय, जब टेक आउट वित्तपोषण योजना शुरू की गई थी, सार्वजनिक-निजी भागीदारी की अवधारणा उभर रही थी। अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के लिए बैंकिंग क्षेत्र ऋण का मुख्य स्रोत था और कम जोखिम की आवश्यकता थी क्योंकि अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं को दीर्घकालिक धन की आवश्यकता होती है, जबकि 80 प्रतिशत तक बैंकों की देयता प्रोफ़ाइल का अधिकांश हिस्सा अल्पकालिक ऋण के लिए था।

2. समिति द्वारा जांचे गए वर्ष 2020 के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं 18 के वर्तमान लेखापरीक्षा पैरा सं 5.2 आईआईएफसीएल द्वारा सितंबर 2014 में दो रियायतग्राहियों रायपुर वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (आरडब्ल्यूएमपीएल) और भिलाई दुर्ग वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (बीडीडब्ल्यूपीएल) को 'टेक आउट फाइनेंस स्कीम' के अंतर्गत ऋण देने से संबंधित है। दोनों ही मामलों में रियायती प्राधिकारी द्वारा ऋण स्वीकृत करने/दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पहले रद्द करने की सूचनाएं जारी की गई थीं। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने पाया कि टेक आउट वित्तपोषण योजना के तहत इन दोनों रियायतग्राहियों को रियायतग्राही प्राधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना और उधारकर्ताओं के निर्धारित ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर) को उनके लेखा परीक्षित वार्षिक लेखाओं के अनुसार सुनिश्चित किए बिना ऋण संवितरित किए गए थे। परिणामस्वरूप ये ऋण खाते एनपीए में परिवर्तित हो गए। कर्मचारियों की जवाबदेही पर

आईआईएफसीएल द्वारा गठित दो आंतरिक समितियों को आईआईएफसीएल के किसी भी अधिकारी की कोई चूक नहीं मिली । नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने इंगित किया कि उन्हें दोनों समितियों के प्रतिवेदनों का आगे विश्लेषण करने के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया था जिससे ऐसे प्रतिवेदनों की विश्वसनीयता के बारे में संदेह पैदा होता है। समिति ने अपने प्रतिवेदन में अपनी टिप्पणियों को अंतिम रूप देने से पहले लेखापरीक्षा करने वाले नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिकारियों के विचारों और आईआईएफसीएल तथा वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों के विचारों को भी सुना। हितधारकों के साक्ष्य, उनके द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और स्पष्टीकरण, और आंतरिक विचार-विमर्श के बाद समिति निष्कर्ष पर पहुँची और अपने सुझाव दिए जो अनुवर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित हैं।

ख. <u>टेक आउट फाइनेंस देने से पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना; त्रिपक्षीय समझौते की आवश्यकता; और मॉडल रियायत समझौता।</u>

3. लेखापरीक्षा में पाया गया था कि आईआईएफसीएल की क्रेडिट नीति 2012 के अनुसार टेक आउट वित्तपोषण के लिए कंपनी को योजना के तहत टेक आउट वित्तपोषण प्रदान के लिए आईआईएफसीएल को ऋणदाता(ओं), रियायतग्राही प्राधिकरण (सीए) (यदि लागू हो) और कंसोर्टियम से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रदान किया जाना है। यह अनापत्ति प्रमाण पत्र की व्यवस्था उधारकर्ता कंपनी/ऋणदाता(ओं) द्वारा टेक आउट होने की निर्धारित तिथि से पहले किया जाना है।' हालांकि कंपनी ने मौजूदा ऋणदाताओं और कंसोर्टियम से एनओसी प्राप्त कर ली है, तथापि वह सीए (इस मामले में रायपुर और भिलाई-दुर्ग नगर निगमों) से यह प्राप्त नहीं कर पाया क्योंकि -

(i)रियायत करार में ऋणदाताओं द्वारा टेक आउट सुविधा प्राप्त करने से पहले किसी भी ऋणदाता या उधारकर्ता द्वारा सीए से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता निर्धारित करने के लिए कोई खंड/प्रावधान/आवश्यकता नहीं थी,

(ii) यदि आईआईएफसीएल ने एनओसी के लिए आवेदन किया भी होता तो सीए के पास आईआईएफसीएल को एनओसी जारी करने का अधिकार नहीं था। आईआईएफसीएल का तीसरा पक्ष होने के कारण, किसी भी समझौते के तहत सीए के साथ कोई सीधा संबंध नहीं था। यहां तक कि मौजूदा ऋणदाता बैंकों का भी किसी भी समझौते के तहत सीए के साथ कोई सीधा

संबंध नहीं था।

(iii)इस संबंध में ऐसी कोई प्रथा नहीं है कि भारत में ऋणदाता ऐसी अवसंरचना परियोजनाओं जिनके संबंध में कंपनी द्वारा सीए से एनओसी प्राप्त न कर पाने की स्थिति में टेकआउट फाइनेन्स, पुनः वित्तपोषण या डाउन सेलिंग की स्थिति में वित्तपोषण में किसी परिवर्तन हेतु रियायत प्राधिकारी से एनओसी मांगे।

4. आईआईएफसीएल ने लागू ऋण नीति के अनुसार टेक आउट राशि केवल ऋणदाताओं के कन्सोर्टियम के मौजूदा बैंकों को ही वितरित की थी, टेक आउट होने की निर्धारित तारीख से पहले उधारदाताओं से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था की जानी थी। इसकी प्रयोज्यता ऋणदाताओं द्वारा एनओसी प्रदान करने की स्थिति में होती क्योंकि टेक आउट सीधे आईआईएफसीएल और ऋण देने वाले बैंकों के बीच था।

तदनुसार, आईआईएफसीएल की क्रेडिट नीति 2012 के प्रावधानों के अनुपालन में, आईआईएफसीएल ने आवश्यकताओं के अनुसार तत्काल मामले में टेक आउट को लागू करने से पहले आरडब्ल्यूएमपीएल के मामले में धनलक्ष्मी बैंक और कैथोलिक सीरियन बैंक से और बीडीडब्ल्यूएमपीएल के मामले में धनलक्ष्मी बैंक और साउथ इंडियन बैंक से ऋणदाताओं के कंसोर्टियम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त किए थे। इसके अलावा, दोनों खातों में ऋण के संवितरण से पहले सभी ऋणदाताओं ने आस्ति वर्गीकरण की मानदंडों के अनुसार "मानक" के रूप में पुष्टि की है।

समिति पाती है कि यह रियायत करार में एक गंभीर कमी है और आश्चर्य व्यक्त करती है कि आईआईएफसीएल ने टेक आउट प्राप्त करने से पहले संबंधित रियायत प्राधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक खंड को शामिल करने की आवश्यकता महसूस नहीं की, यद्यपि आईआईएफसीएल की अपनी क्रेडिट नीति 2012 में इसके लिए एक प्रावधान है। इसे रियायत समझौतों में इस कमी को समझना चाहिए था और अपने वित्तीय हित की रक्षा के लिए टेक आउट प्राप्त करने से पहले इसे दूर करना चाहिए था।इसकी जगह, उन्होंने इस बात पर अधिक विश्वास किया कि रियायती प्राधिकारियों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र को अस्वीकार कर दिया जाएगा क्योंकि यह समझौते में किसी भी खंड के तहत शामिल नहीं था।

अतः, समिति यह सिफारिश करती है कि आईआईएफसीएल को अपनी ऋण नीति में आवश्यक

संशोधन करना चाहिए ताकि ऋण नीति/टेक आउट योजना में उधारकर्ताओं को किसी भी टेक आउट वित्तपोषण प्रदान करने से पहले रियायती प्राधिकारियों, ऋणदाताओं के साथ-साथ ऋणदाताओं के कंसोर्टियम से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने को पूर्व-अपेक्षित आवश्यकता बनाने के लिए रियायत करारों में खंडों को शामिल किया जा सके। समिति यह भी पुरजोर सिफारिश करती है कि त्रिपक्षीय करार से संबंधित उपयुक्त शर्तों के साथ एक संशोधित टेक आउट वित्त योजना की आवश्यकता को क्रेडिट नीति में शामिल किया जाए। आईआईएफसीएल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मौजूदा त्रिपक्षीय करार वाली प्रस्तावित टेक आउट वित्तपोषण परियोजनाओं में आईआईएफसीएल को अन्य सभी उधारों जैसे प्रत्यक्ष ऋण, ऋण वृद्धि आदि में नए या अतिरिक्त ऋणदाता के रूप में शामिल करने का प्रावधान होना चाहिए। रियायती प्राधिकरणों से संबंधित मामलों में आईआईएफसीएल को केवल उन्हीं परियोजनाओं को वित्त पोषित करना चाहिए जिनके लिए त्रिपक्षीय करार किया जाएगा।

5. अवसंरचना क्षेत्र के विकास में टेक आउट फाइनेंस की महत्वपूर्ण भूमिका के मद्देनजर और ऋणदाताओं और टेक आउट फाइनेंसरों के हितों की सुरक्षा हेतु एक मानक मसौदा तैयार किया जाए जिसमें रियायत प्राधिकरण, रियायतग्राही और ऋणदाताओं/टेक आउट फाइनेंसरों के बीच त्रिपक्षीय करार के लिए एक प्रावधान रखा जाए जैसा कि वैश्विक नियम है, जो रियायती प्राधिकरण को ऋणदाताओं/टेक आउट फाइनेंसरों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम बनाए।

ग. <u>निर्धारित ऋण अदायगी कवरेज अनुपात संबंधी स्पष्टता</u>

6. लेखापरीक्षा में यह पाया गया है कि आईआईएफसीएल की ऋण नीति 2012 के अनुसार कम्पनी केवल उन परियोजनाओं को स्वीकार करने का अधिकार है जिनका ऋण अदायगी कवरेज अनुपात (डीएससीआर) कम से कम 1.00 हो। तथापि डीएससीआर की अवधि के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है – एक वित्तीय वर्ष टेक आउट लागू करने के तुरंत पहले के 12 माह की अवधि। आईआईएफसीएल ने सूचित किया है कि आरडब्यूएमपीएल और बीडीडब्ल्यूपीएल के मामले में खातों में संवितरण करते समय जुलाई 2013 से जून 2014 तक की एक वर्ष की अवधि के लिए क्रमश: 1.16 और 1.20 के डीएससीआर को विधिवत सत्यापित करने वाला सांविधिक लेखापरीक्षा

प्रमाणपत्र लिया गया था। समिति सीएंडएजी के विचारों और सुझावों से सहमत है कि तिमाही आंकड़े सामान्यत: लेखापरीक्षित नहीं होते हैं जिन्हें प्रामाणिक और स्वीकार्य नहीं माना जा सकता है तथा ये आंकड़े ऋणदाताओं के लिए उतने विश्वसनीय नहीं होते हैं जितने लेखापरीक्षित आंकड़े होते हैं और इस प्रकार समिति सिफारिश करती है कि भविष्य में आईआईएफसीएल को लेखापरीक्षित आंकड़ों पर विश्वास करना चाहिए और परियोजना में डीएससीआर को स्वीकार करने के लिए उपलब्ध तुलन-पत्र को भी देखना चाहिए।

घ. <u>निधियों के संवितरण से पहले विवेकपूर्ण दृष्टिकोण और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई</u>

7. समिति ने जब रियायत प्राधिकरण से एनओसी प्राप्त किए बिना आरडब्ल्यूएमपीएल और बीडीडब्ल्यूपीएल को ऋण स्वीकृत करने के बारे में पूछे जाने पर आईआईएफसीएल ने बताया कि उक्त रियायत करार में ऐसा कोई प्रावधान या आवश्यकता नहीं है जो यह निर्धारित करती हो कि उधारकर्ताओं द्वारा संबंधित रियायती प्राधिकरणों से एक एनओसी प्राप्त की जानी है। आरडब्ल्यूएमपीएल और बीडीडब्ल्यूपीएल के परियोजना की समाप्ति के बाद ऋण की स्वीकृति और संवितरण से संबंधित दूसरे मामले में, आईआईएफसीएल ने समिति को सूचित किया कि आरडब्ल्यूएमपीएल और बीडीडब्ल्यूपीएल की परियोजनाओं की समाप्ति के बारे में आईआईएफसीएल के पास अगस्त 2015 तक कोई भी सूचना नहीं थी। इस तथ्य के बावजूद कि परियोजना के रियायत करार के अनुच्छेद 6 के तहत खंड संख्या 6.1(छ) के अनुसार संबंधित रियायत प्राधिकारी (नगर निगम) किसी भी समाप्ति या चूक, जो कि रियायती अधिकारियों द्वारा शुरू किया गया था या उक्त परियोजनाओं में रियायत की ओर से हुए किसी भी उल्लंघन की घटना के बारे में ऋणदाताओं को सूचित करने के लिए बाध्य थे। परियोजनाओं की समाप्ति सूचनाएं जारी करने और उक्त परियोजना के समापन के विवरण अग्रणी ऋणदाता को प्रदान नहीं किए गए थे फलस्वरूप आईआईएफसीएल को न तो मूल्यांकन चरण और न ही संवितरण चरण (टेक आउट के तिथि के पहले) के दौरान रियायत प्राधिकरण से सूचना प्राप्त हुई जो रियायत करार के खंड 6.1(छ) का उल्लंघन है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित रियायती करार और टेक आउट फाइनेंस योजना के अनुसार एनओसी की आवश्यकता नहीं थी, आईआईएफसीएल ने ऋणदाताओं को समूह के मौजूदा बैंकों को टेक आउट राशि संवितरित कर दी थी। टेक आउट घटित होने की निर्धारित तिथि से पहले केवल ऋणदाताओं से एनओसी की व्यवस्था की जाने

और प्राप्त करने की आवश्यकता थी। तदनुसार, आईआईएफसीएल की ऋण नीति 2012 के प्रावधानों के अनुपालन में, आईआईएफसीएल आवश्यकता के अनुसार इस मामले में टेक आउट वित्त देने से पहले इन दोनों परियोजनाओं के ऋणदाताओं के सहायक संघ से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है।

समिति नोट करती है कि आईआईएफसीएल इस बात से सहमत है कि रियायत प्राधिकरण परियोजना के उधारकर्ताओं के मौजूदा सहायता संघ को समापन नोटिसों के संबंध में सूचित करना चाहिए, जो रियायत करार के खंड 6.1(छ) का उल्लंघन है। यही कारण है कि आईआईएफसीएल उधारकर्ताओं (अवसंरचना परियोजनाओं में वित्तपोषण का अधिकांश हिस्सा रखने वाले) के हितों की रक्षा, उधारकर्ताओं के विश्वास उत्पन्न करने और इस मामले में सीएंडएजी द्वारा रेखांकित मामलों से निपटने और ऐसे सामाजिक अवसंरचना क्षेत्र सहित नवोदित क्षेत्रों को वित्तपोषण देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सभी अवसंरचना क्षेत्रों के लिए एक त्रि-पक्षीय रियायत करार और मानक रियायत करार की आवश्यकता की हिमायत करता रहा है।

समिति मानती है कि आईआईएफसीएल को रियायतग्राही प्राधिकरणों द्वारा परियोजनाओं की समाप्ति के मामले से निपटने के लिए वित्तीय करार का मसौदा तैयार करने में अधिक सावधान और सतर्क रहना चाहिए।

8. इसके अलावा, आईआईएफसीएल द्वारा दोनों मामलों में पूर्व वितरण स्थल निरीक्षण 17.10.2014 को किया गया था जो रियायत करार के समापन का नोटिस जारी करने तथा ऋण स्वीकृत करने के बाद किया गया था। समिति आगे पाती है कि दो समितियां जिन्होंने कर्मचारी जवाबदेही और तथ्यों की जांच की कार्रवाई का आयोजन किया, ने अपनी रिपोर्ट में यह निष्कर्ष दिया है कि आईआईएफसीएल के किसी भी अधिकारी की ओर से कोई चूक नहीं पाई गई है। इन रिपोर्टों को सीएंडएजी को आगे विश्लेषण के लिए नहीं सौंपा गया था जो यह दर्शाता है कि तथ्यों की जांच की कार्रवाई बहुत हद तक छुपाने की कार्रवाई जैसी थी क्योंकि इन रिपोर्टों को आईआईएफसीएल के प्रबंध निदेशक द्वारा स्वीकार किया था और उन्हीं के कहने पर तथ्यों की जांच की कार्रवाई बंद हो गई है। समिति इसमें शामिल अधिकारियों के आचरण पर कोई आक्षेप किए बिना या मंडल के विवेक पर प्रश्नचिन्ह लगाए बिना मानती है कि आईआईएफसीएल को अपने पक्ष पर दोषमुक्त होने हेतु रियायत करार के 6.1(छ) प्रावधान के उल्लंघन के लिए रियायती प्राधिकरणों (नगर निगमों) के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर विवेकपूर्ण रूख अपनाना

चाहिए था।

ड़. <u>सुधारात्मक उपाय</u>

9. समिति टेक आउट फाइनेंस योजना में आईआईएफसीएल द्वारा (i) आंतरिक सम्यक विवेक (ड्यू डिलिजेंस) और क्रेडिट मूल्यांकन विभाग, (ii) अपने जोखिम प्रबंधन कार्यों का सुदृढ़ीकरण, (iii) स्वतंत्र विशेषज्ञों और प्रतिष्ठित कानूनी फर्मों को नियुक्त करना, (iv) संचालन के क्षेत्र में पर्याप्त और निरंतर तकनीकी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, (v) सेवाओं का डिजिटाइजेशन और वास्तविक समय ऑनलाइन परियोजना निगरानी आदि जैसे किए गए सुधारात्मक उपायों के बारे में जानकर प्रसन्न है। समिति को आशा है कि इन उपायों की आईआईएफसीएल के कामकाज के सुधार और सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

<u>नई दिल्ली</u>; संतोष कुमार गंगवार
<u>28 जुलाई, 2022</u> सभापति,
06 श्रावण, 1944 (शक) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

****

<u>परिशिष्ट - एक</u>

<u>सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति</u>

(2021-2022)

समिति की चौदहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक मंगलवार, 08 दिसंबर, 2021 को 1555 बजे से 1620 बजे तक समिति कक्ष 'सी', भूमि तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री संतोष कुमार गंगवार - सभापति

सदस्य

<u>लोक सभा</u>

2. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायलू
3. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
4. श्रीमती पूनमबेन माडम
5. श्री जनार्दन मिश्र
6. श्री सुशील कुमार सिंह
7. श्री उदय प्रताप सिंह
8. श्री रामदास तडस

<u>राज्य सभा</u>

9. श्री के.सी. राममूर्ति
10. श्री एम. शनमुगम

सचिवालय

1. श्री आर.सी. तिवारी - अपर सचिव
2. श्री श्रीनिवासुलु गुंडा - निदेशक
3. श्री जी.सी.प्रसाद - अपर निदेशक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय के प्रतिनिधि

1.	श्री राज गणेश विश्वनाथन	-	उप. सीएंडएजी (वाणिज्यिक, समन्वय और स्थानीय निकाय और अध्यक्ष, संपरीक्षा बोर्ड)
2.	डॉ. कविता प्रसाद	-	महानिदेशक (वाणिज्यिक)-I
3.	श्री शैलेन्द्र विक्रम सिंह	-	प्रधान निदेशक (संसदीय समिति)
4.	सुश्री विधु सूद	-	प्रधान निदेशक संपरीक्षा (आईएंडसीए)

2. सर्वप्रथम, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय के प्रतिनिधियों ने एक पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) से संबंधित समाप्त परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करने के कारण परिहार्य हानि के संबंध में 2020 के प्रतिवेदन संख्या 18 के संपरीक्षा पैरा संख्या 5.2 पर समिति को विस्तृत जानकारी प्रदान की। इसमें अन्य बातों के साथ साथ अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त न करना, ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर) की अपर्याप्तता और रायपुर वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (आरएसडब्ल्यूपीएल) और भिलाई ड्रग वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (बीडीडब्ल्यूएमपीएल) के संबंध में परियोजनाओं की समाप्ति के बाद भी ऋणों का संवितरण, जैसे मुद्दे शामिल हैं।

3. तत्पश्चात, सभापति और सदस्यों ने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय के प्रतिनिधियों से इस तरह की भारी चूक, संभावित भ्रष्टाचार के उद्देश्यों, जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता, जवाबदेही और दायित्व, जाली तुलन-पत्र, उधार देने से पहले परियोजना की व्यवहार्यता का पता नहीं लगाना, उधारकर्ताओं द्वारा राशि गबन करने की मंशा में उप-ठेकेदारों आदि की संलिप्तता के कारणों सहित आईआईएफसीएल के विभिन्न पहलुओं पर स्पष्टीकरण मांगा।

4. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिनिधियों ने कुछ मुद्दों के संबंध में स्पष्टीकरण दिए जिनके संबंध में जानकारी उनके पास तत्काल उपलब्ध थी। समिति ने अपनी अगली बैठकों में इस विषय की और जांच के लिए 2020 के प्रतिवेदन संख्या 18 के संपरीक्षा पैरा संख्या 5.1 और 5.2 संबंधी आईआईएफसीएल और वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) के विचारों को सुनने का निर्णय लिया।

तत्पश्चात साक्षी चले गए।

/----------/

परिशिष्ट - दो

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

(2021-22)

समिति की छब्बीसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक बुधवार 16 मार्च, 2022 को 1530 बजे से 1625 बजे तक समिति कक्ष 'डी', भू तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में सम्पन्न हुई।

उपस्थित

श्री संतोष कुमार गंगवार - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायलू
3. श्रीमती पूनमबेन माडम
4. श्री जनार्दन मिश्र
5. श्री नामा नागेश्वर राव
6. श्री सुशील कुमार सिंह
7. श्री उदय प्रताप सिंह

राज्य सभा

8. श्री अनिल देसाई
9. श्री सैयद नासिर हुसैन
10. श्री के. सी. राममूर्ति

सचिवालय

1.	श्री वी के त्रिपाठी	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री श्रीनिवासुलु गुंडा	-	निदेशक
3.	श्री जी.सी. प्रसाद	-	अपर निदेशक
4.	श्रीमती मृगांका अचल	-	उप सचिव

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय के प्रतिनिधि

1.	डॉ कविता प्रसाद	-	महानिदेशक (वाणिज्यिक)-I
2.	सुश्री रितिका भाटिया	-	महानिदेशक (वाणिज्यिक)-II
3.	श्री दीपक कपूर	-	महानिदेशक (अवसंरचना)
4.	श्री शैलेन्द्र विक्रम सिंह	-	महानिदेशक (संसदीय समितियां)
5.	श्री मृणाल चावला	-	निदेशक

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधि

1.	श्री पी.आर. जयशंकर	-	प्रबंध निदेशक
2.	श्री गौरव कुमार	-	महाप्रबंधक
3.	श्री समिक दास गुप्ता	-	महाप्रबंधक

2. अध्यक्ष ने 'आईआईएफसीएल से संबंधित समाप्त परियोजनाओं में ऋण की अवधि बढ़ाए जाने के कारण होने वाली परिहार्य हानि' के संबंध में सी एंड एजी के वर्ष 2020 के प्रतिवेदन सं. 18 का लेखापरीक्षा पैरा सं. 5.2 विषय की जांच के संबंध में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लेने हेतु बुलाई गई बैठक में सदस्यों और सी एंड एजी के अधिकारियों का स्वागत किया। तत्पश्चात् नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय के प्रतिनिधियों ने इस विषय से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। लेखा परीक्षा में आईआईएफसीएल द्वारा रायपुर वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (आरडब्ल्यूएमपीएल) और भिलाई ड्रग, वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (बीडीडब्ल्यूपीएल) को 'टेकआउट फाइनेंस स्कीम' के तहत दिए गए ऋण के दो मामलों की ओर ध्यान दिलाया गया, जो सक्षम प्राधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना दिया गया था। ये ऋण अंततः एनपीए हो गए और इन मामलों में 26.20 करोड़ रुपये की राशि को बट्टे खाते में डालना पड़ा।

(तत्पश्चात आईआईएफसीएल के प्रतिनिधियों को बुलाया गया)

3. अध्यक्ष ने आईआईएफसीएल के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और संसदीय समितियों के समक्ष साक्ष्य की गोपनीयता के संबंध में 'अध्यक्ष के निदेशों' के निदेश 55(1) की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया। माननीय अध्यक्ष ने आईआईएफसीएल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर दिया और सक्षम प्राधिकारियों से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना परियोजनाओं की समाप्ति के बाद 'टेकआउट फाइनेंस स्कीम' के तहत बीडीडब्ल्यूएमपीएल और आरडब्ल्यूएमपीएल को स्वीकृत और संवितरित दो परियोजना ऋणों के बारे में जानकारी मांगी जो एनपीए हो गए थे।

4. इसके बाद, आईआईएफसीएल के प्रतिनिधियों ने समिति को इस विषय पर एक प्रस्तुति दी, जिसमें कंपनी की उत्पत्ति और व्यवसाय प्रोफ़ाइल पर प्रकाश डाला; बुनियादी ढांचे में क्षेत्र के वित्तपोषण देने में कंपनी का प्रभाव और प्रमुख उपलब्धियों; टेकआउट फाइनेंस स्कीम की उत्पत्ति, विशेषताएं, लाभ और उद्योग पर इसके प्रभाव के बारे में बताया गया। आईआईएफसीएल ने बीडीडब्ल्यूएमपीएल और आरडब्ल्यूएमपीएल दोनों परियोजनाओं की लेखा परीक्षा के दौरान की गई टिप्पणियों और उन पर वसूली कार्रवाई के साथ-साथ आईआईएफसीएल द्वारा सुधार और भविष्य के लिए किए गए उपायों के बारे में जानकारी दी।

5. तत्पश्चात् सदस्यों ने प्रमुख परियोजनाओं में ऋण देने के ब्यौरे के बारे में; आईआईएफसीएल के कार्यकरण संबंधी लेखा परीक्षा के निष्कर्ष; राजकोष को वित्तीय नुकसान और इसकी वसूली के लिए की गई कार्रवाई और इसकी जिम्मेदारी; माध्यस्थम पंचाट और बैंक गारंटी से संबंधित मुद्दों; भविष्य में विकास के लिए अवसंरचना क्षेत्र में 'हाइब्रिड वार्षिकी (एन्युटी) मॉडल' में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए कंपनी का भावी रोडमैप से संबंधित विभिन्न मुद्दों को उठाया। तत्पश्चात माननीय अध्यक्ष ने ऋण वसूली अधिकरण में दोनों उधारकर्ताओं से देय राशियों की वसूली के संबंध में अद्यतन जानकारी मांगी।

6. आईआईएफसीएल के प्रतिनिधियों ने उन विषयों के संबंध में स्पष्टीकरण दिए जिनके संबंध में जानकारी उनके पास तत्काल उपलब्ध थी। सभापति महोदय ने इच्छा जताई कि जिन मुद्दों के संबंध में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं थी उनके संबंध में समिति सचिवालय को 10 दिन के अंदर लिखित उत्तर प्रस्तुत कर दिए जाएं।

(तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई)

/----------/

परिशिष्ट - तीन

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

(2021-22)

समिति की सत्ताईसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक बुधवार 05 अप्रैल, 2022 को 1500 बजे से 1555 बजे तक समिति कक्ष 'बी', भूमि तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में आयोजित की गई।

उपस्थित

श्री संतोष कुमार गंगवार - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायलु
3. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
4. श्री सी.पी. जोशी
5. श्री जनार्दन मिश्र
6. श्री नामा नागेश्वर राव
7. डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा
8. श्री सुशील कुमार सिंह
9. श्री रामदास तडस

राज्य सभा

10.श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य
11.श्री अनिल देसाई
12.श्री सैयद नासिर हुसैन
13.श्री के.सी. रामामूर्ति
14.श्री एम. शनमुगम

<u>सचिवालय</u>

1. श्री वी.के. त्रिपाठी	-	संयुक्त सचिव
2. श्री श्रीनवासुलु गुंडा	-	निदेशक
3. श्री जी.सी. प्रसाद	-	अपर निदेशक
4. श्रीमती मृगांका अचल	-	उप सचिव

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय के प्रतिनिधि

1. श्री राज गणेश विश्वनाथन	-	उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक, समन्वय और स्थानीय निकाय और अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड)
2. डॉ. कविता प्रसाद	-	महानिदेशक (वाणिज्यिक) - I
3. सुश्री रीतिका भाटिया	-	महानिदेशक (वाणिज्यिक) - II
4 श्री दीपक कपूर	-	महानिदेशक (अवसंरचना)
4. श्री शैलेन्द्र विक्रम सिंह	-	महानिदेशक (संसदीय समितियां)
5. श्री एस. अहलादिनी पांडा	-	प्रधान निदेशक

वित्त सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री संजय मल्होत्रा	-	सचिव
2. श्री अमित अग्रवाल	-	अपर सचिव
3. श्री ललित कुमार चंदेल	-	आर्थिक सलाहकार

2. सर्वप्रथम, सभापति ने बैठक में सदस्यों और सी एंड एजी के अधिकारियों का स्वागत किया जिसका आयोजन आईआईएफसीएल से संबंधित 'समाप्त की गई परियोजनाओं में ऋण की अवधि बढ़ाए जाने के कारण हुई परिहार्य हानि' के संबंध में वर्ष 2020 के सी एंड एजी के प्रतिवेदन सं. 18 के पैरा सं. 5.2 की जांच के संबंध में वित्तीय सेवाएं विभाग के प्रतिनिधियों से साक्ष्य लेने हेतु किया गया था। तत्पश्चात सीएजी के कार्यालय के प्रतिनिधियों ने इस विषय से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण दिया। लेखापरीक्षा में आईआईएफसीएल द्वारा

रायपुर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (आरडब्ल्यूएमपीएल) और भिलाई ड्रग वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (बीडीडब्ल्यूएमपीएल) को छूट देने वाले प्राधिकारियों से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना "टेकआउट फाइनेंस स्कीम" के अंतर्गत ऋण की अवधि बढ़ाए जाने के दो मामले इंगित किए गए हैं। ये ऋण अंतत: गैर निष्पादनकारी आस्तियां बन गई और इन मामलों के संबंध में 26.20 करोड़ रूपए की राशि को बट्टे खाते डाला गया।

(तत्पश्चात डीएफएस के प्रतिनिधियों को भीतर बुलाया गया)

3.सभापति ने डीएफएस के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और उनका ध्यान संसदीय समितियों के समक्ष साक्ष्यों की गोपनीयता से संबंधित 'अध्यक्ष के निदेश' के निदेश 55(1) की ओर आकृष्ट कराया। माननीय सभापति ने आईआईएफसीएल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर बल दिया और बीडीडब्ल्यूएमपीएल और आरडब्ल्यूएमपीएल नामक दो परियोजनाओं के लिए टेकआउट फाइनेंस स्कीम के अंतर्गत छूट देने वाले प्राधिकरणों से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता की अनुपालना सुनिश्चित किए बगैर परियोजनाओं की समाप्ति के पश्चात स्वीकृत और संवितरित ऋणों, जिसके कारण वे एनपीए में परिवर्तित हो गए, के बारे में जानकारी मांगी। सभापति ने टेकआउट फाइनेंस स्कीम जैसी योजनाओं को अंतिम रूप देने से पूर्व आईआईएफसीएल के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए विभिन्न रक्षोपायों के बारे में भी स्पष्टीकरण मांगा।

4. तत्पश्चात डीएफएस के प्रतिनिधियों ने दो परियोजनाओं अर्थात बीडीडब्ल्यूएमपीएल और आरडब्ल्यूएमपीएल के विभिन्न पहलुओं के संबंध में स्पष्टीकरण दिया। विभाग के प्रतिनिधियों ने यह स्पष्ट किया कि दोनों कंपनियों को ऋण देने से पूर्व ऋण अदायगी कवरेज अनुपात सुनिश्चित कर लिया गया था। उन्होंने इस ओर भी इंगित किया कि बीडीडब्ल्यूएमपीएल और आरडब्ल्यूएमपीएल को संबंधित परियोजनाओं के समाप्त होने से पूर्व ऋण दिया गया था।

5. तत्पश्चात सदस्यों ने रियायत संबंधी करार, त्रिपक्षीय रियायत करार की आवश्यकता, कोई भी ऋण दिए जाने के पूर्व स्थल दौरा किए जाने का प्रावधान, परियोजनाओं की प्रगति को जांचने का तंत्र, त्रिपक्षीय करार के प्रावधान की स्थिति इत्यादि जैसे विभिन्न मुद्दों को उठाया।

6. डीएफएस के प्रतिनिधियों ने उन मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया जिनके संबंध में उनके पास जानकारी तत्काल उपलब्ध थी। कुछ प्रश्नों, जिनके संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं थी, के बारे

में सभापति ने इच्छा व्यक्त की कि तत्संबंधी लिखित उत्तर 10 दिन के भीतर समिति सचिवालय को भेज दिए जाएं।

(तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।)

/----------/

<u>परिशिष्ट - चार</u>

<u>सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति</u>

(2022-23)

<u>समिति की दसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश</u>

समिति की बैठक गुरुवार, 28 जुलाई, 2022 को 1500 बजे से 1600 बजे तक समिति कमरा सं 3, संसदीय सौध विस्तार (ईपीएचए), नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री संतोष कुमार गंगवार - सभापति

सदस्य

लोक सभा

15.श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
16.श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू
17.श्रीमती पूनमबेन माडम
18.श्री जनार्दन मिश्र
19.श्री राम मोहन नायडू किंजरापु
20.डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा
21.श्री उदय प्रताप सिंह
22.श्री रामदास तडस

<u>राज्य सभा</u>

23. श्री सैयद नासिर हुसैन
24. डॉ. अनिल जैन
25. श्री प्रकाश जावडेकर
26. डॉ. अमर पटनायक

सचिवालय

1. श्री वी. के. त्रिपाठी	-	संयुक्त सचिव
2. श्री संतोष कुमार	-	निदेशक
3. श्री जी.सी. प्रसाद	-	अपर निदेशक
4. श्रीमती मृगांका अचल	-	उप सचिव

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची से अवगत कराया। तत्पश्चात, समिति ने बिना किसी बदलाव/संशोधन के "इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) से संबंधित समाप्त परियोजनाओं में ऋण की अवधि बढ़ाए जाने के कारण होने वाली परिहार्य हानि विषय के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2020 के प्रतिवेदन सं.18 के लेखापरीक्षा पैरा सं. 5.2" संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया। तत्पश्चात्, समिति ने सभापति को संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा तथ्यात्मक सत्यापन के आधार पर प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने और प्रतिवेदन को संसद के वर्तमान सत्र के दौरान प्रस्तुत करने पर विचार करने के लिए प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के साक्षियों को भीतर बुलाया गया।

4. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

5. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हो गई।

/----------/